[2023] 3 एस. सी. आर. 714

तज़वीर सिंह सोधी और हमारा।

वी.

जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य।

(सिविल अपील सं। 2164-2172 2023 का)

28 मार्च, 2023

[के. एम. जोसेफ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

सेवा कानूनः चयन प्रक्रिया-रद्द करना-औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया-कुछ अपीलकर्ताओं सहित 64 व्यक्ति जिनका चयन औषधि निरीक्षकों के रूप में किया गया और वे उक्त पदों पर सेवारत हैं-हालांकि, उक्त चयन और नियुक्ति को चयन में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई

प्रक्रिया-उच्च न्यायालय ने डिवीजन बेंच द्वारा रोके गए चयन और नियुक्ति को रद्द कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः उम्मीदवार, जिन्होंने बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, असफल घोषित होने के बाद इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं-उम्मीदवार एक ही समय में अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकते हैं-केवल इसलिए कि चयन प्रक्रिया का परिणाम स्वादिष्ट नहीं है।

एक उम्मीदवार के लिए, वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चुनौती प्रक्रिया में कुछ कमी थी

छूट और स्वीकृति के सिद्धांत के आलोक में विचार नहीं किया जाना चाहिए था-इसके अलावा, चयन प्रक्रिया में कोई दुर्भावना या मनमानेपन नहीं पाया जाता है-चयन मानदंड को फिर से तैयार करना केवल उम्मीदवारों की संबंधित शैक्षिक योग्यता के लिए अंकों के आवंटन के संबंध में था-यह चयन प्रक्रिया के मानकों को संरक्षित करने के उद्देश्य से था-इसके अलावा, उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और मूल्यांकन।

चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना समिति के सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए-जिस प्रासंगिक चयन प्रक्रिया का पालन किया गया था, उसके आलोक में, न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ है कि वह यांत्रिक या आकस्मिक थी या अनियमितताओं से ग्रस्त थी जो इतनी गंभीर या मनमाना प्रकृति की थी ताकि पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने को उचित ठहराया जा सके-इसलिए, उच्च न्यायालय ने पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने और अलग करने में न्यायसंगत नहीं ठहराया, विशेष रूप से तब जब अपीलकर्ताओं सहित चौंसठ उम्मीदवार एक दशक से अधिक समय से उक्त पद पर कार्यरत थे-जम्मू और कश्मीर

अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम, 1992 आरआर। 9 और 9 ए।

714 तज़वीर सिंह सोधी और हमारा। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य।

सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया-न्यायिक समीक्षा का दायरा-आयोजितः न्यायालय आमतौर पर चयन में हस्तक्षेप करने से बचते हैं।

स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रोजगार की प्रक्रिया और

चयन प्रक्रिया की अखंडता-चयन की प्रक्रिया में उच्च स्तर की विशेषज्ञता और विवेकाधिकार शामिल होता है-अदालतों के लिए चयन समिति के लिए अपने फैसले को प्रतिस्थापित करना उचित नहीं है-अदालतें केवल तभी हस्तक्षेप करती हैं जब कदाचार या वैधानिक नियमों के उल्लंघन या अंतर्निहित मनमानेपन के आरोप साबित होते हैं।

शब्द और वाक्यांशः ' फार्माकोलॉजी 'और' फार्मेसी 'का अर्थ-चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

चयन प्रक्रिया की स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखने का महत्व। अदालतें मानती हैं कि चयन की प्रक्रिया में उच्च स्तर की विशेषज्ञता और विवेकाधिकार शामिल है और अदालतों के लिए अपने फैसले को प्रतिस्थापित करना उचित नहीं है चयन समिति के लिए। यह वास्तव में, चल रहा होगा

यदि न्यायालय चयन बोर्ड का हिस्सा बनने वाले विशेषज्ञों के निर्णय की समीक्षा करने का साहस करता है। इस प्रकार, यह न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पुनरीक्षण, चयन प्रक्रिया के गुण-दोषों में प्रवेश करने के लिए, एक ऐसा कार्य जो चयन समिति का विशेषाधिकार है और चयन समिति के विशेषज्ञ क्षेत्र के भीतर है, निश्चित रूप से इस चेतावनी के अधीन है कि यदि कदाचार या वैधानिक नियमों के उल्लंघन के सिद्ध आरोप हैं, तो केवल अंतर्निहित मनमानेपन के ऐसे मामलों में, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस प्रकार, न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयन समिति के स्थान पर कदम नहीं रख सकते हैं या यह जांचने के लिए अपीलीय भूमिका नहीं ले सकते हैं कि क्या अंक दिए गए हैं।

चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा अत्यधिक होती है और ऐसी परीक्षा में उनके प्रदर्शन के अनुरूप नहीं होती है। द.

चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और मूल्यांकन समिति के सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस स्थिति के आलोक में कि एक अदालत एक उचित रूप से ठोस चयन प्रक्रिया के अनुसार लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील में नहीं बैठ सकती है, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए निम्नलिखित आधार, जो चयन [2023] 3 एस. सी. आर. द्वारा नियोजित व्यक्तिपरक मानदंडों के हमले पर आधारित हैं।

उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए बोर्ड/साक्षात्कार पैनल, अर्थात्, जिन उम्मीदवारों ने अपना स्नातकोत्तर किया था

10 अंक दिए गए थे और वाइवा-वॉइस में, इस तरह के पीजी उम्मीदवारों को 18 अंक या 20 अंक दिए गए थे।

20 ; और यह कि हालांकि रिट याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, अधिकारियों ने इसमें कार्रवाई की थी

चयन प्रक्रिया को पूरा करते समय मनमाना तरीके से,

किसी भी पानी को नहीं रोकेगा। [पैरा 12,12.1] [748-सी-डी; 750-जी-एच; 751 ए-सी]

1.2 . यह ट्राइट है कि उम्मीदवारों ने भाग लिया है

बिना किसी विरोध या विरोध के चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती

असफल घोषित होने के बाद भी। उम्मीदवार एक ही समय में अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सिर्फ इसलिए कि चयन प्रक्रिया का परिणाम सुखद नहीं है

एक उम्मीदवार के लिए, वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि साक्षात्कार की प्रक्रिया थी

अनुचित या कि इस प्रक्रिया में कुछ कमी थी। इस प्रकार,

इन मामलों में रिट याचिकाकर्ता, पहले पूछताछ नहीं कर सकते थे

कानून का एक न्यायालय, चयन मानदंडों को पुनर्गठित करने के पीछे का तर्क, क्योंकि उन्होंने चयन प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लिया

मानदंडों को इस तरह से पुनर्गठित किया गया था। उनकी उम्मीदवारी वापस नहीं ली गई थी।

संशोधित मानदंडों के आलोक में। चयन प्रक्रिया में असफल घोषित किए जाने के बाद ही उनके खिलाफ एक चुनौती दी गई थी, जिस स्तर पर चुनौती नहीं होनी चाहिए थी छूट और स्वीकृति के सिद्धांत के आलोक में मनोरंजन किया गया। छूट के नियम का एकमात्र अपवाद है

चयन बोर्ड की ओर से दुर्भावना का अस्तित्व। में तत्काल मामले में, चयन में कोई दुर्भावना या मनमानेपन नहीं पाया जाता है

प्रक्रिया और इसलिए उक्त अपवाद को लागू नहीं किया जा सकता है। [पैरा 13,13.2] [753-एफ-एच; 754-ए-बी] 1.3 तत्काल मामले में, व्यक्तिगत पुरस्कार सूची की अनुपलब्धता के कारण अपीलार्थियों का पूरा चयन अलग कर दिया गया था।

सदस्यों द्वारा अंतिम चयन सूची के हस्ताक्षरित अनुमोदन के बावजूद

बोर्ड से। क्या पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना था

अत्यधिक या उचित, चयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा

अपनाया गया और क्या यह मनमाना है या किसी दुर्भावना को प्रकट करता है

चयन बोर्ड की ओर से विश्वास करता है। [पैरा 14.4] [755-एफ-जी] तज़वीर सिंह सोधी और हमारा।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य।

पेशे से स्नातकोत्तर डिग्री (एम. डी.) और पी. एच. डी. उनके श्रेय के लिए फार्माकोलॉजी में। 1992 के नियमों के नियम 9 ए में प्रावधान है कि अध्यक्ष यदि आवश्यक महसूस करते हैं तो एक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकते हैं। चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में जिस विषय में नियुक्ति की जानी है। तत्काल मामले में, यह प्रस्तुत किया गया था कि फार्मेसी के क्षेत्र में योग्यता रखने वाला व्यक्ति पैनल में बेहतर रूप से उपयुक्त होता। [पैरा 15] [760-सी-ई]

चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति की जानी है। इसी तरह नियम 9 (iii) में प्रावधान है कि अध्यक्ष, यदि आवश्यक महसूस करता है, तो चयन समिति के विशेषज्ञ के साथ सहयोग कर सकता है।

उस विषय में विशेषज्ञ जिसमें भर्ती की जानी है। 'मई' शब्द का उपयोग इंगित करेगा कि बोर्ड के अध्यक्ष को इस संबंध में विवेकाधिकार है और चयन पैनल में फार्मेसी में योग्यता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इस हद तक, एकल [2023] 3 एस. सी. आर. के निष्कर्ष।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खंड पीठ को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 15.3] [761-ई-जी]

1.8 . उम्मीदवारों को दिए गए महत्व को बढ़ाकर मानदंड को 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र के माध्यम से पुनर्गठित किया गया था। फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री, पीएचडी जैसी उन्नत योग्यता रखने वाले

आदि, अधिक योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जिन्होंने उक्त पदों के लिए आवेदन किया था। मानदंडों को फिर से तैयार करना केवल उम्मीदवारों की संबंधित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंकों के आवंटन के संबंध में था। यह चयन प्रक्रिया के मानकों को संरक्षित करने के उद्देश्य से था और दुर्भावनापूर्ण या तिरछे उद्देश्य से प्रेरित नहीं था। उम्मीदवार की योग्यता जितनी अधिक हो

अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें सम्मानित किया गया। दूसरे शब्दों में, शैक्षिक योग्यता के लिए दिए गए न्यूनतम अंक 65 थे और

उच्च योग्यता के आधार पर 80 तक बढ़ सकता है

उम्मीदवारों को। इसलिए, चयन प्रक्रिया नहीं हो सकती है इस आधार पर हस्तक्षेप किया कि अंकों का पुरस्कार एकतरफा रूप से पुनर्निर्मित किया गया था। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का पुनः आवंटन उम्मीदवारों की उच्च योग्यता की मान्यता में किया गया था जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। यह कोई समझदारी की बात नहीं है कि कोई भी उम्मीदवार जो अंकों के पुनर्गठन से दुखी था, तज़वीर सिंह सोधी और ओआरएस।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य।

चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में 12 जून, 2009 का शुद्धिपत्र। हालांकि, रिट याचिकाकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया। बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लेना या विरोध करते हुए, रिट याचिकाकर्ता केवल असफल होने के कारण दुर्भावना से दागी होने के रूप में चुनौती नहीं दे सकते हैं। [पैरा 16.3] [763-एफ-एच; 764-ए-सी]

1.9 . रिट याचिकाओं में एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों में से एक सफल उम्मीदवारों को बनाए रखना था, लेकिन

उसी समय, रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए

और एक नई चयन सूची तैयार की जानी थी। इसके अलावा, जब तक उक्त अभ्यास नहीं किया जाना था, तब तक चयनित उम्मीदवारों को जारी रखा जाना था। हालांकि, खंड पीठ ने चयन सूची को पूरी तरह से रद्द कर दिया और निर्देश दिया और कहा कि पहले से की गई नियुक्तियों के बाद होने वाली रिक्तियों के खिलाफ आगे कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है और पदों का पुनः विज्ञापन करके एक नया चयन किया जाना है। नतीजतन, दवा निरीक्षकों का चयन किया गया था कुल मिलाकर रद्द कर दिया गया और छह महीने के भीतर नए सिरे से अभ्यास पूरा करने का निर्देश जारी किया गया और तब तक, ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को जारी रखा जाना था। एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ दोनों द्वारा जारी किए गए निर्देश कानून के अनुसार नहीं थे और इसलिए उक्त निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। [पैरा 17] [764-डी-एफ]

1.10 . श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय, दिनांक 18 दिसंबर 2015

और 29 अक्टूबर, 2021 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। नतीजतन, 18 दिसंबर, 2015 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के बाद जम्मू में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के 6 जुलाई, 2017 के फैसले को भी रद्द कर दिया गया है। [पैरा 18] [764-जी-एच; 765-ए] [2023] 3 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दयानंद हालो बनाम। मुमताज अली शेख (2008) 4 एस. सी. सी. 619 [2008] 3 एस. सी. आर. 497; त्रिवेदी हिमांशु

घनश्यामभाई बनाम. अहमदाबाद नगर निगम, (2007) 8 एससीसी 644: [2007] 10 एस. सी. आर. 1041-पर निर्भर।

भारतीय रिजर्व बैंक बनाम सी. एल. तूरा (2004) 4 एस. सी. सी. 657: [2004] 3 एस. सी. आर. 847; भारत संघ बनाम। बिकाश कुमार (2006) 8 एस. सी. सी. 192; मैसूर विश्वविद्यालय बनाम।

सी. डी. गोविंदा राव [1964] 4 एस. सी. आर. 575; भारतीय रेलवे

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम अजय कुमार (2003) 4 एससीसी 579: [2003] 2 एस. सी. आर. 387; बिहार राज्य बनाम पी. पी. शर्मा (1992) 1 पूरक एस. सी. सी. 222: [1991] 2 एस. सी. आर. 1; अजीत कुमार नाग बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2005) 7 एस. सी. सी. 764: [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 314; भारत संघ बनाम। अशोक कुमार (2005) 8 एससीसी 760: [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 317; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम।

डॉ. के. कल्याण रमन (1992) 2 सप। एससीसी 481; बी. सी. माइलरप्पा बनाम डॉ. आर. वेंकटसुब्बैया (2008) 14 एससीसी306: [2008] 14 एससीआर 288; बैद्यनाथ यादव बनाम। आदित्य नारायण रॉय (2020) 16 एससीसी 799: [2019] 15 एस. सी. आर. 427; मो. मुस्तफा वी। भारत संघ (2022) 1 एस. सी. सी. 294; मदन लाल बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (1995) 3 एस. सी. सी. 486: [1995] 1 एस. सी. आर. 908; भारत संघ बनाम। बिलास चंद जैन (2009) 16 एस. सी. सी. 601; अनुपल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एससीसी 173: [2019] 12 एस. सी. आर. 1071; डी. सरोजकुमारी बनाम आर. हेलेन थिलाकॉम (2017) 9 एससीसी 478 [2017] 9 एससीआर 512; सचिन कुमार बनाम। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (2021) 4 एस. सी. सी. 631; इंदरप्रीत सिंह काहलों बनाम। पंजाब राज्य (2006) 11 एससीसी 356: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 772; भारत संघ बनाम। राजेश पी. यू. (2003) 7 एससीसी 285: [2003] 1 पूरक। एससीआर 883; अशोक कुमार यादव बनाम। हरियाणा राज्य (1985) 4

एससीसी 417: [1985] 1 पूरक। एससीआर 657; बुद्धि नाथ

चौधरी बनाम। अबाही कुमार (2001) 3 एस. सी. सी. 328: [2001] 2 एससीआर 18; जसविंदर सिंह बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (2003) 2 एस. सी. सी. 132; सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम। उमादेवी

(2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एस. सी. आर. 953; दलपत अबासाहेब सोलुंके बनाम। डॉ. बी. एस. महाजन एयर 1990 एस. सी. 434; सिकरी। (स्वास्थ्य) विभाग। स्वास्थ्य और एफ. डब्ल्यू. वी. डॉ. अनीता पुरी (1996) 6 एस. सी. सी. 282: [1996] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 361; एम. वी. थिमैया तज़वीर सिंह सोधी और ओ. आर. एस. वी. द स्टेट ऑफ जेएएम एंड कश्मीर एंड ओआरएस।

वी. संघ लोक सेवा आयोग (2008) 2 एससीसी 119

: [2007] 13 एस. सी. आर. 624; ओम प्रकाश पोपलाई और राजेश

कुमार माहेश्वरी बनाम। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज

एसोसिएशन लिमिटेड (1994) 2 एससीसी 117: [1994] 1 एससीआर 120; मनीष कुमार शाही बनाम। बिहार राज्य (2010) 12 एस. सी. सी.

576 ; रमेश चंद्र शाह बनाम। अनिल जोशी (2013) 11 एससीसी 309 : [2013] 5 एससीआर 687; अशोक कुमार बनाम। बिहार राज्य,

(2017) 4 एससीसी 357 [2016] 8 एससीआर 815; कुमारी अनामिका मिश्रा बनाम। यूपी लोक सेवा आयोग,

इलाहाबाद एयर 1990 एससी 461: [1989] पूरक। एससीआर 124; मोहिंदर सैन गर्ग बनाम। पंजाब राज्य (1991) 1 एस. सी. सी.

एस. सी. सी. 38 [1971] 2 एस. सी. आर. 430; सुश्री निशी माघू बनाम। राज्य जम्मू और कश्मीर (1980) 4 एस. सी. सी. 95: [1980] 3 एससीआर 1253; लीला

धार बनाम। राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1777: [1982]

1 एस. सी. आर. 320-संदर्भित।

पी. रामनाथ अय्यर का उन्नत कानून शब्दकोश, 6 वाँ

संस्करण, खंड। 3 ; ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त चिकित्सा शब्दकोश, 7 संस्करण-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2004] 3 एससीआर 847

पैरा 7.1

संदर्भित किया गया है

(2006) 8 एससीसी 192

पैरा 7.2,7,5,7 और

संदर्भित किया गया है

[2008] 3 एससीआर 497

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.2

[1964] 4 एससीआर 575

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.2

[2007] 10 एससीआर 1041

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.3,9.5 और 14

[2003] 2 एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.3

[1991] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.3

[2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 314 को संदर्भित किया गया

पैरा 7.3

[2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 317 को संदर्भित किया गया

पैरा 7.3

(1992) 2 सप. एस. सी. सी. 481 संदर्भित

पैरा 7.4

[2008] 14 एससीआर 288

पैरा 7.4

संदर्भित किया गया है

[2019] 15 एससीआर 427

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.4 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

2

1 एससीसी-294

संदर्भित किया गया है

पैरा 7,4,7.

(2022) [1995] 1 एससीआर 908

पैरा 7.6, 7. '

संदर्भित किया गया है

(2009) 16 एस. सी. सी. 601

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.6

[2019] 12 एससीआर 1071

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.7

[2017] 9 एससीआर 512

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.7

(2021) 4 एस. सी. सी. 631

पैरा 7.8

संदर्भित किया गया है

[2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 772 संदर्भित

पैरा 7.8

[2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 883 को संदर्भित किया गया

पैरा 7.8,14

[1985] 1 पूरक। एस. सी. आर. 657 संदर्भित

पैरा 7.9

[2001] 2 एससीआर 18

पैरा 7.10

संदर्भित किया गया है

(2003) 2 एससीसी 132

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.4

[2006] 3 एससीआर 953

संदर्भित किया गया है

पैरा 10.6

पैरा 12 (i)

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1990 एस. सी. 434

[1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 361 संदर्भित

पैरा 12 (ii)

[2007] 13 एससीआर 624

पैरा 12 (iii)

संदर्भित किया गया है

[1994] 1 एससीआर 120

पैरा 12 (iv)

संदर्भित किया गया है

(2010) 12 एस. सी. सी. 576

पैरा 13 (i)

संदर्भित किया गया है

[2013] 5 एससीआर 687

पैरा 13 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2016] 8 एससीआर 815

पैरा 13 (iii)

संदर्भित किया गया है

[1989] पूरक। एससीआर 124

संदर्भित किया गया है

पैरा 14.1

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 पूरक। एससीआर 108

पैरा 14.2

[1971] 2 एससीआर 430

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1980] 3 एससीआर 1253

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर 320

संदर्भित किया गया है

पैरा 16.1

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल एपिया

2172 2023 तक।

के 29.10.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एल. पी. ए. एस. डब्ल्यू. में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख

2015 , 278 , 279 , 12 , 97 , 98 , 105 , 134 और 2016 का 135।

तज़वीर सिंह सोधी और हमारा। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य।

के साथ

2023 की सिविल अपील Nos.2182-2190,2191-2199,2200,2173-2181,2201 2203,2204-2212,2213-2215 और 2216-2221।

सुश्री माधवी गोराडिया दीवान, ए. एस. जी., पी. एस. पटवालिया, संजय आर.

हेगड़े, रंजीत कुमार, राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. शोएब आलम, उज्जवल सिंह, अगस्त्य सेन, कृष्णा सुमंत, सिद्धांत बक्शी, राजेंद्र सिंह परिहार, सुनंदो राहा, राघव गुप्ता, शाहरुख अली, सुश्री फौजिया शकील, अनुपम रैना, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, जी. एम. कावूसा, सुश्री पलक मित्तल, सुश्री मजुला गुप्ता, ऋषभ अग्रवाल, जपनीश सिंह भाटिया, सुश्री रिद्धिमा जुनेजा, मुकुल कुमार, शैलेश मडियाल, वैभव सभरवाल, अक्षय कुमार, सुश्री पलक मित्तल, सुश्री एस. जनानी, दीपक गोयल, सुश्री सारिका राय, शिव सिंह यादव, प्रिया रंजन कुमार, सुश्री बे। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. आई. ए. सं. 21153/2022 मृतक याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए और आई. ए. सं. 21154/2022 के लिए आई. ए. सं. 21153/2022 दाखिल करने में देरी की अनुमति है। आई. ए. नं. 21154/2022 दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया जाता है और कानूनी

प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जाता है।

3. संलिप्तता के लिए आई. ए. सं. 3739/2022 भी अनुमत है।

4. अपीलों का वर्तमान बैच तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में ड्रग निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए 8 सितंबर, 2009 को आयोजित चयन प्रक्रिया और 12 नवंबर, 2009 को प्रकाशित नियुक्तियों से संबंधित है, जिसमें 64 व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

2021 के एसएलपी (सी) Nos.20781-20789 में अपीलार्थी; एसएलपी (सी) संख्या। 20790 20798 2021 का; एसएलपी (सी) संख्या। 20799-20807 2021 का; एसएलपी (सी) सं। 976/2022; एसएलपी (सी) संख्या। 967-975 वर्ष 2022 और डायरी संख्या 1194/2022 का चयन किया गया और उन्हें औषधि निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया और वे 12 नवंबर, 2009 से उक्त पदों पर कार्यरत हैं। चयन और नियुक्तियों को जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और जम्मू उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और [2023] 3 एस. सी. आर. द्वारा रद्द कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रीनगर में कश्मीर, 18 दिसंबर 2015 के निर्णय और आदेश द्वारा, 2009 के एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 1356 और संबंधित मामलों में। उक्त निर्णय

2015 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 277 और संबंधित मामलों में पारित 29 अक्टूबर, 2021 के विवादित फैसले द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। 2022 के एसएलपी (सी) No.976 में अपीलकर्ताओं ने जम्मू में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 6 जुलाई, 2017 के फैसले और आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश पर भरोसा किया गया है।

श्रीनगर दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को कुछ अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसलिए, ये अपीलें।

5. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य हैं -

इस प्रकार हैः

5.1 . 05 मई, 2008 को जम्मू और कश्मीर अधीनस्थ सेवा चयन और भर्ती बोर्ड (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

" बोर्ड) जम्मू और कश्मीर अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम, 1992 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (इसके बाद '1992 नियम' के रूप में संदर्भित) ने 2008 की विज्ञापन सूचना संख्या 3 जारी की, जिसमें बीस सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। द.

विज्ञापन सूचना में उपलब्ध रिक्तियों के साथ-साथ संबंधित भर्ती नियमों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड भी प्रदान किए गए हैं। विज्ञापित पदों की कुल संख्या 549 थी। उक्त विज्ञापन में दवा निरीक्षकों के 72 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 42 पदों को ओपन मेरिट श्रेणी से भरा जाना था; 14 पदों को पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों (इसके बाद "आर. बी. ए". के रूप में संदर्भित) द्वारा भरा जाना था और 16 पदों को अन्य सामाजिक श्रेणियों (इसके बाद "ओ. एस. सी". के रूप में संदर्भित) सहित विभिन्न अन्य आरक्षित श्रेणियों द्वारा भरा जाना था।

दवा निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताएँ इस प्रकार थींः

(क) उम्मीदवार के पास फार्मेसी में डिग्री होनी चाहिए या

फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री या भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के एक विशेष विषय के रूप में फार्मास्युटिकल्स के साथ रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए या इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित समकक्ष योग्यता होनी चाहिए या केमिस्ट संस्थान (भारत) के एसोसिएटशिप डिप्लोमा को एक विषय के रूप में दवाओं और फार्मास्युटिकल्स के विश्लेषक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके; या तज़वीर सिंह सोधी और ओआरएस।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

(बी) उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा या विज्ञान में स्नातक होना चाहिए और प्रयोगशाला में कम से कम एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण होना चाहिएः

i) अधिनियम के तहत नियुक्त सरकारी विश्लेषक;

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अनुमोदित संस्थान के प्रमुख का रासायनिक परीक्षक।

5.2 . बोर्ड ने औषधि निरीक्षकों के पदों पर चयन और नियुक्ति को विनियमित करने के लिए अनुमोदित मानदंडों को अधिसूचित किया। वही नीचे दिए गए हैंः

आई. फार्मेसी में डिग्री (बी. फार्मेसी)

55 अंक

या

ii. फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री

55 अंक

या

iii. रसायन विज्ञान में पी. जी. विशेष 55 अंकों के रूप में फार्मास्युटिकल के साथ

विषय

या

iv. रसायनज्ञ संस्थान का एसोसिएटशिप डिप्लोमा 55 अंक

(भारत) के विश्लेषक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके

एक विषय के रूप में दवाएं और दवाएं

या

किसी विश्वविद्यालय के चिकित्सा या विज्ञान में स्नातक 55 अंक

वी.

प्राधिकारी की नियुक्ति द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त

और कम से कम एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त हो।
(i) सरकारी विश्लेषक के अधीन प्रयोगशाला नियुक्त

द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अनुमोदित संस्थान का नियुक्ति प्राधिकरण

vi. पी. जी. फार्मेसी/मेडिसिन

25 अंक

20 अंक

vii. वाइवा-वॉयस

कुल

100 अंक

5.3 . औषधि निरीक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद

विज्ञापन के अनुसरण में, अधिकारियों ने एक अधिसूचना जारी की

31 मई, 2009 को एक स्थानीय दैनिक, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सूचित करता है। बोर्ड द्वारा 12 जून, 2009 को एक अन्य अधिसूचना जारी की गई थी, जिसका शीर्षक था "दवा निरीक्षक (स्वास्थ्य) के मानदंडों में विसंगति देखी गई"। उक्त अधिसूचना के आधार पर, उत्तरदाताओं ने चयन के मानदंडों को निम्नानुसार पुनर्गठित कियाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फार्मेसी में डिग्री (बी. फार्मेसी)

65
अंक

1 .

या

फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री

65
अंक

2 .

या

3 .

रसायन विज्ञान में पी. जी. एक विशेष विषय के रूप में फार्मास्युटिकल के साथ

65
अंक

रसायनज्ञ संस्थान (भारत) का एसोसिएटशिप डिप्लोमा
दवाओं के विश्लेषक और 65 अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करके

4 .

एक विषय के रूप में फार्मास्युटिकल
या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा या विज्ञान में स्नातक

इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण नियुक्त करके और कम से कम एक है

5 .

(i) 65 अंकों के तहत प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण

अधिनियम के तहत नियुक्त सरकारी विश्लेषक। ((ii) रसायन
परीक्षक (iii) विशेष रूप से अनुमोदित संस्थान का प्रमुख

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए

6 .

पी. जी. फार्मेसी/मेडिसिन/फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री

10

अंक

7 .

पीएचडी।

05

अंक

20 अंक

8 .

वाइवा-वॉयस

कुल

10

0 अंक

5.4 . 8 सितंबर, 2009 को बोर्ड ने चयन सूची प्रकाशित की।

और औषधि के रूप में नियुक्ति के लिए चौसठ उम्मीदवारों की सिफारिश की

जम्मू और कश्मीर के औषधि और खाद्य नियंत्रण संगठन में निरीक्षक। चयन सूची में ओपन मेरिट श्रेणी से चुने गए 42 उम्मीदवार शामिल थे और अन्य आरक्षित श्रेणियों में से कुल 22 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिनमें से 14 नामों का चयन किया गया था आर. बी. ए. श्रेणी में। बोर्ड ने 15 अक्टूबर, 2009 को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के समक्ष चयन सूची रखी।

संबंधित विभाग, सभी मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए।

5.5 . 12 नवंबर, 2009 को औषधि नियंत्रक का कार्यालय

और जम्मू और कश्मीर के खाद्य नियंत्रण संगठन ने नियुक्ति आदेश जारी किए, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को Rs.9300-34800 के वेतनमान और 4,200/- रुपये के वेतनमान में दवा निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

5.6 . कुछ उम्मीदवार जो चयन में असफल रहे

जम्मू के समक्ष 2009 की रिट याचिका (सेवा) संख्या 1685 दायर की गई

प्रक्रिया और जम्मू में कश्मीर उच्च न्यायालय, कुल चयनित उम्मीदवारों में से 56 के चयन को रद्द करने और अधिकारियों को आदेश देने के लिए अनिवार्य प्रकृति में एक रिट जारी करने के अनुरोध के साथ, इसके बजाय रिट याचिकाकर्ताओं को ड्रग निरीक्षकों के रूप में चुनने और नियुक्त करने के लिए। जिन मुख्य आधारों पर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, वे इस प्रकार हैं:

अजवीर सिंह सोधी और हमारा। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

a) कि दवा निरीक्षकों के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों ने अर्जित किया था

भारतीय फार्मेसी परिषद से संबद्ध नहीं होने वाले विश्वविद्यालयों से दवा निरीक्षक के पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ। कि 5 मई, 2008 के विज्ञापन सूचना में निहित पात्रता मानदंड को 12 जून, 2009 की अधिसूचना और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त करने के संबंध में मानदंड के माध्यम से पुनर्गठित किया गया था।

और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, हटा दिया गया था। रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि योग्यता को हटाए जाने का कारण न तो गैथेरेबल था और न ही

समझ में आता है।

ख) कि चयन समिति द्वारा किया गया चयन कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था क्योंकि चयन समिति का कोरम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष साक्षात्कार समिति के सदस्यों में से एक थे जो

साक्षात्कार प्रक्रिया ने साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। इसके अलावा, साक्षात्कार समिति के विशेषज्ञ सदस्य फार्मेसी के क्षेत्र से नहीं थे। किसी व्यक्ति को साक्षात्कार समिति का सदस्य बनाने के बजाय जो

संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारी एक ऐसे सदस्य को लाए जिनके पास एमबीबीएस की योग्यता थी।

ग) जिन उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री थी

10 अंक दिए गए और मौखिक परीक्षा में ऐसे स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को या तो 18 अंक या 20 में से 20 अंक दिए गए थे। कि हालांकि रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था

साक्षात्कार में असाधारण रूप से अच्छी तरह से, अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को पूरा करते समय मनमाने तरीके से काम किया था।

5.7 . एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 1685 में उठाए गए तीन और रिट याचिकाओं के समान आधारों पर चयन प्रक्रिया में शामिल असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर किया गया था। ये याचिकाएं जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की गार बेंच के समक्ष दायर की गई थीं। का विवरण

आई. डी. रिट याचिकाएँ इसके तहत निर्धारित की गई हैं:

i) 2009 की रिट याचिका एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 1356 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी जिसमें वाइवा-वॉस के लिए 20 अंक आवंटित करने के मानदंड को रद्द करने और अधिकारियों को [2023] 3 एस. सी. आर. के बाद प्राप्त योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश देने के लिए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई थी।

मौखिक परीक्षा आयोजित करते समय समिति द्वारा उम्मीदवारों को आवंटित अंकों को छोड़कर। रिट याचिकाकर्ताओं ने आगे एक अनिवार्यता की प्रकृति में एक रिट की मांग की जिसमें निर्देश दिया गया कि चयन समिति में एक विशेषज्ञ के साथ नए सिरे से साक्षात्कार आयोजित किए जाएं जिसके पास आवश्यक दस्तावेज हों। योग्यता.

ii) 2009 की लिखित याचिका एस. डब्ल्यू. पी. सं. 1535 याचिकाकर्ता द्वारा श्रीनगर में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें दवा निरीक्षकों के चयन की सीमा तक प्रकाशित चयन सूची को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की रिट की मांग की गई थी। औषधि निरीक्षक के पद के लिए साक्षात्कार से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश और संबंधित अधिकारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर औषधि निरीक्षक के पद के खिलाफ रिट याचिकाकर्ता का चयन करने और नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए एक आदेश पत्र। iii) 2009 की रिट याचिका एस. डब्ल्यू. पी. संख्या 1846, चयन सूची को रद्द करने और संबंधित अधिकारियों को रिट याचिकाकर्ता का चयन करने और उसे दवा के पद पर नियुक्त करने का आदेश देने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट की मांग करते हुए दायर की गई थी।

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ निरीक्षक डब्ल्यू. ई. एफ. तिथि

सफल उम्मीदवारों का चयन किया गया।

5.8 . उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, श्रीनगर पीठ ने रिट याचिकाओं यानी एस. डब्ल्यू. पी. सं. का संपादन किया। 1356 2009 का 1846,2009 का 535 सामान्य निर्णय और 18 तारीख के आदेश के माध्यम से

एम. बी. 2015. 18 सितंबर, 2015 के फैसले में प्रासंगिक निष्कर्षों को नीचे दिया गया हैः

i) विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा चयन बोर्ड में विशेषज्ञ डॉ. समीना फरहत, सहायक प्रोफेसर, की क्षमता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया।

फार्माकोलॉजी विभाग। यह देखा गया कि विशेषज्ञ पेशे से एक डॉक्टर थीं और उन्होंने फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री (एम. डी.) और पी. एच. डी. की थी। फार्मेसी के अध्ययन में फार्माकोलॉजी एक महत्वपूर्ण घटक है और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर फार्मेसी में डिग्री के पाठ्यक्रम में शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। वे सभी जो फार्मेसी में अध्ययन करते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं, उन्हें फार्माकोलॉजी का अध्ययन करना आवश्यक है। एक फार्मासिस्ट को आई. आर. सिंह सोधी और ओ. आर. एस. सीखना होता है।

वी. जम्मू का राज्य एन. डी. कश्मीर और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

दवाई के प्रभाव के साथ-साथ जिन तरीकों से

शरीर में दवा दी जा सकती है। फार्मासिस्ट दवा विशेषज्ञ होते हैं और उनकी जिम्मेदारियों में रोगियों को दवा देना, रोगी के स्वास्थ्य और प्रगति की निगरानी करना शामिल है।

विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयन समिति के स्थान पर कदम नहीं रख सकता है या अपीलीय भूमिका नहीं निभा सकता है यह जांचने के लिए कि क्या चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा में दिए गए अंक अत्यधिक हैं और ऐसी परीक्षा में उनके प्रदर्शन के अनुरूप नहीं हैं। द.

चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और मूल्यांकन समिति के सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड द्वारा दिए गए अंकों में गलती खोजने का कोई कारण नहीं था क्योंकि केवल 100% अंक दिए गए थे या दिए गए अंक उच्च पक्ष पर थे। कि एक बार जब रिट याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, तो उन्हें इस प्रक्रिया से इस कारण से व्यथित नहीं होना था कि उन्हें दिए गए अंक

हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय निर्णय पर गौर नहीं कर सकता है, लेकिन यह जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में है कि क्या प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का पालन किया गया। इस प्रकार न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया की जाँच की।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि हाथ में मामले में, चयन के सदस्यों द्वारा तैयार पुरस्कार सूची

बोर्ड व्यक्तिगत रूप से चयन रिकॉर्ड में नहीं था। यहां तक कि अंतिम पुरस्कार सूची भी उम्मीदवारों के प्रदर्शन को दर्शाती है। वाइवा-वॉयस में और पात्रता योग्यता में योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के डेटा और अतिरिक्त महत्व देने वाली योग्यता पर चयन समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और रिकॉर्ड [2023] 3 एस. सी. आर. में कुछ भी नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चयन समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए उम्मीदवारों के मूल्यांकन और उनके समग्र मूल्यांकन को इंगित करना। साक्षात्कार में दिए गए अंकों सहित योग्यता। कि

द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई पुरस्कार सूची की अनुपस्थिति

चयन समिति के सदस्यों ने पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया और चयन प्रक्रिया अनुरूप नहीं थी

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।

चयन रिकॉर्ड को देखने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि यह पता चला है कि चयन बोर्ड ने चयन करते समय कुछ उम्मीदवारों को अतिरिक्त महत्व दिया था, जबकि ऐसे उम्मीदवारों के पास फार्मेसी/मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी और इसलिए वे अतिरिक्त महत्व दिए जाने के योग्य नहीं थे। कि चयन समिति यह सत्यापित किए बिना कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा दावा की गई फार्मेसी में स्नातकोत्तर डिग्री उम्मीदवार के श्रेय के लिए थी और यदि ऐसा है, तो यह मानते हुए कि डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कट-ऑफ तिथि से पहले प्राप्त की गई थी या नहीं, अतिरिक्त अंक प्रदान करती है कि उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर डिग्री है और इसलिए वे अतिरिक्त वेटेज के लिए पात्र हैं। कि यह चयन प्रक्रिया पर एक बादल डालता है।

9. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाएं कीं और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

वे सफल उम्मीदवार जो उत्तरदाता थे

सफल उम्मीदवारों को और प्रत्यर्थी विभाग में Rs.9300-34800 के वेतनमान में दवा निरीक्षकों की उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों के खिलाफ तीन रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पर विचार करने और चार सप्ताह के भीतर इस तरह की कवायद को पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। कि यदि न्यायालय द्वारा निर्देशित रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पदों की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं थी, तो प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा 8 तारीख को चयन सूची प्रकाशित की गई।

सितम्बर, 2009 और उसके अनुसार की गई नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और अलग कर दी जाएगी।

बोर्ड तब तज़वीर सिंह सोधी एंड ओआरएस होगा। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उन सभी उम्मीदवारों के नए साक्षात्कार आयोजित करने के लिए एक चयन समिति का गठन करना आवश्यक है जो पहले इसके समक्ष उपस्थित हुए थे।

और चयन समिति के सदस्य निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे और व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन और मूल्यांकन करेंगे।

उम्मीदवार, इस तरह के मूल्यांकन को दर्शाने वाली व्यक्तिगत पुरस्कार सूची तैयार करते हैं और चयन समिति के संयोजक को सीलबंद लिफाफे के तहत व्यक्तिगत पुरस्कार सूची सौंपते हैं। कि चयन समिति का संयोजक गणना करेगा

वाइवा-वॉयस में दिए गए कुल अंक और पात्रता योग्यता और उच्चतर योग्यता में योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में इस प्रकार प्राप्त अंकों को जोड़ें।

योग्यता, यदि कोई हो, अनुपात के आधार पर, और चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक अंतिम योग्यता सूची तैयार करें। बोर्ड को अंतिम योग्यता सूची के आधार पर इच्छुक विभाग को सिफारिशें करने की आवश्यकता थी

और इच्छुक विभाग पर कार्य करना था

इस प्रकार की गई सिफारिशें और चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करें। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को छह महीने के भीतर इस तरह की कवायद करने का निर्देश दिया।

iii) विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि प्रतिवादी अधिकारी उपरोक्त निर्देश संख्या (ii) का पालन करने का निर्णय लेते हैं, तो बोर्ड चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों को अनुपालन में की गई कवायद तक जारी रखने की अनुमति दे सकता है।

निर्देश सं. (ii) पूरा किया गया था और नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, क्योंकि उनके निष्कासन के परिणामस्वरूप प्रशासनिक समस्याएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है और दवाओं के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित पूरी मशीनरी ध्वस्त हो सकती है। और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम।

खुली योग्यता श्रेणी में चुना गया और कम से कम एक रिट याचिका में पक्षकार को प्रतिवादी बनाया गया; तीन एल. पी. ए. एस. (एल. पी. ए. संख्या। 279/2015,134/2016 और 135/2016) यहाँ अपीलार्थियों, यानी व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए थे। जिन्हें आरक्षित श्रेणी में चुना गया था और जिन्हें तीन रिट याचिकाओं और तीन एल. पी. ए. (एल. पी. ए. संख्या) में से किसी में भी पक्षकार नहीं बनाया गया था। 97/2016,98/2016 और 105/2016) बोर्ड द्वारा दाखिल किए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. 29 अक्टूबर, 2021 के विवादित फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय की पीठ ने विद्वत न्यायाधीश के निष्कर्षों को गुण-दोष के आधार पर बरकरार रखा और विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा जारी याचिकाओं को संशोधित करने के बाद अपीलों का निपटारा किया। 29 अक्टूबर, 2021 के विवादित निर्णय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि एकल न्यायाधीश अर्थात् डॉ. समीना फरहत, सहायक प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग को शामिल करना,

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, चयन समिति में एक विशेषज्ञ के रूप में और यह माना कि यह उम्मीद की जाती थी कि वह

उन्हें फार्मेसी का काफी अच्छा ज्ञान था। डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि अंतिम पुरस्कार सूची के रूप में

वाइवा-वॉस में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और पात्रता योग्यता में योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों और अतिरिक्त वजन सुनिश्चित करने वाली योग्यता पर चयन समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इसके अलावा, चयन समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए उम्मीदवारों के मूल्यांकन का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था

और साक्षात्कार में दिए गए अंकों सहित उनकी समग्र योग्यता।

चटर्जी कौल ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया निर्देश सं. (i) इसके विपरीत और इसके विपरीत था। दिशा सं. (ii)। कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ने साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में दिए गए अंकों को चयन मानदंड के अनुरूप और विरोधाभासी नहीं पाया था, तो

निर्देश सं. (i) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इसका भावी न्यायाधीश पर भी प्रभाव पड़ेगा।

उम्मीदवार और न्यायिक मिसाल के विपरीत होगा।

डिवीजन बेंच द्वारा निर्देश संख्या (ii) को इस हद तक संशोधित किया गया था कि "याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निर्देश के अनुसार की जाए। डिवीजन बेंच द्वारा हटा दिया गया था "बनाया जाना है। निर्देश का अगला भाग (ii) अर्थात "चयन सूची प्रकाशित की गई।

8 सितंबर, 2009 को प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा और

इसके अनुसार की गई नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी और अलग कर दी जाएंगी। और डिवीजन बेंच द्वारा परिणामी निर्देशों को बरकरार रखा गया।

आईआर सिंह सोधी और ओआरएस। वी. जम्मू का राज्य एन. डी. कश्मीर और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश सं. (iii) को बरकरार रखा और कहा कि

अक्षुण्ण रहेगा और अधिकारियों द्वारा अक्षरशः लागू किया जाएगा।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश (जैसा कि वे तब थे) ने एक अलग राय में न्यायमूर्ति विनोद की टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की। चटर्जी कौल और इस आशय के विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियाँ कि चयन सूची ठीक से तैयार नहीं की गई थी। यह कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि चयन समिति के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया था और अंतिम पुरस्कार सूची जो मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को दर्शाती थी और योग्यता में योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों को दर्शाती थी

साथ ही अतिरिक्त योग्यता के लिए दिया गया अतिरिक्त भार भी मानदंडों के अनुसार नहीं था। इसलिए, चयन प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त निष्कर्ष को इस प्रभाव में बनाया है कि कुछ

उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से अतिरिक्त महत्व दिया गया था, बिना रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री थी कि उनके पास ऐसे अतिरिक्त अंकों के अनुदान के लिए स्नातकोत्तर डिग्री थी, विद्वान एकल न्यायाधीश उम्मीदवारों के चयन को केवल इस कारण से नहीं बचा सकते थे कि वे पिछले सात वर्षों से विभाग में सेवारत थे।

और वे इस पद पर बने रहने के योग्य थे।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को सफल बनाए रखने का निर्देश देना उचित नहीं था।

सेवा में उम्मीदवार और विचार करने के लिए

निरीक्षक। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने राय दी कि 2008 की विज्ञापन सूचना संख्या 3 के अनुसार चयन प्रक्रिया दिनांकित है। 5 मई 2008 को चयन सूची के प्रकाशन और चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने के साथ पूरा किया गया। इसलिए, बाद में हुई स्पष्ट रिक्तियों के खिलाफ उक्त चयन के आधार पर आगे कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी। डिवीजन बेंच ने माना कि सभी बाद के [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिक्तियों को नए सिरे से खुले बाजार से भरा जाना है और यदि उन्हें पहले के चयन के उम्मीदवारों द्वारा भरने की अनुमति दी जाती है, तो यह निश्चित रूप से अधिकारों का उल्लंघन करेगा।

उन उम्मीदवारों में से जिन्होंने उक्त रिक्तियों के खिलाफ आवेदन किया होगा यदि उनका नए सिरे से विज्ञापन दिया गया था। डिवीजन बेंच ने इस प्रकार निर्णय दिया कि एक बार चयन वैध नहीं पाया गया और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश नहीं हो सकता था

कोई भी निर्देश जारी किया जैसे कि निर्देश सं. (i)। इस तर्क के संबंध में कि असफल उम्मीदवार

चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और इस प्रकार, इसे चुनौती देने के हकदार नहीं थे, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रिट याचिकाकर्ता या असफल उम्मीदवार नहीं कर सकते थे

के रूप में रिट याचिका दायर करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है

चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार हमेशा चयन के दौरान की गई अवैधताओं को अदालत के संज्ञान में ला सकते हैं, हालांकि, उनके पास चयन समिति के गठन या चयन समिति के सदस्यों की पात्रता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

खुली आँखों से चयन प्रक्रिया में।

डिवीजन बेंच ने इस प्रकार प्रकाशित चयन सूची को रद्द कर दिया

8 सितंबर 2009 को बोर्ड द्वारा और प्रत्यर्थी को स्वतंत्रता दी-बोर्ड एक चयन समिति का गठन करने के लिए

विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयन के लिए कानून के अनुसार उसके समक्ष उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों का नया साक्षात्कार आयोजित करना। डिवीजन बेंच ने आगे कहा

स्पष्ट किया कि 5 मई 2008 के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित नहीं किए गए किसी भी पद या रिक्ति को उक्त चयन प्रक्रिया द्वारा नहीं भरा जाएगा। डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि यदि अभ्यास किया जाता है, तो इसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और उस समय तक नियुक्त किए गए चयनित उम्मीदवारों को

प्रशासनिक समस्याओं से बचने के लिए उक्त पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई।

2. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को पारित किए गए सामान्य विवादित फैसले से व्यथित, वर्तमान अपीलें महत्वपूर्ण हितधारक रही हैं। इसके अलावा, एस. एल. पी. (सी) सं. 976/2022 एस. डब्ल्यू. पी. सं. 1685/2009 में आई. आर. टी. द्वारा पारित 6 जुलाई, 2017 के निर्णय और आदेश को दाखिल कर रहा है, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय तज़वीर सिंह सोधी और ओ. आर. एस.

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

8 सितंबर 2009 को बोर्ड द्वारा प्रकाशित चयन और सूची को रद्द कर दिया गया।

इस न्यायालय के समक्ष दायर विभिन्न अपीलों का विवरण, जो थे -

इस निर्णय के माध्यम से सुना गया है और निपटाया जा रहा है,

यहाँ एक सारणीबद्ध रूप में आसान संदर्भ के लिए प्रस्तुत किया गया है:

एस. आई. विशेष अवकाश विवादित

विवरण

पक्षकारों की श्रेणी के विवादित निर्णय द्वारा व्यथित निर्णय और कार्यवाही

नहीं। याचिका सं।

न्यायालय

द.

जो

जो पास हो गया।

संदेह हुआ।

वैसा ही

फैसला आ गया।

पास होना

1 . एस. एल. पी. (सी) नं. संदेह हुआ।

नं. याचिकाएं दायर की गई हैं

एलपीए

20781-20789 में से

निर्णय और 277/2015,

जिन उम्मीदवारों का

चयन किया गया

अंतिम आदेश

12/2016 , 97/2016 ,

पिछड़े क्षेत्रों के निवासी

2021

तारीख 29 तारीख

98/2016 ,

(आर. बी. ए.) श्रेणी

चयन सूची के अनुसार

अक्टूबर, 2021। 134/2016,

दिनांकित

08.09.2009।

135/2016 द्वारा पारित,

का उच्च न्यायालय

278/2015 ,

& 279/2015

और

जम्मू

कश्मीर और 105/2016।

लद्दाख

में

श्रीनगर

एस. एल. पी. (सी) नं.

2 .

संदेह हुआ।

एलपीए

नं. अपील श्री द्वारा दायर की गई

है।

20790-20798 में से

निर्णय और 277/2015,

गुप्ता, सुश्री

रुमेसा

आशीष

फाइनल

ऑर्डर 12/2016,97/2016,

मोहम्मद और श्री पंकज

2021

29th 98/2016,

दिनांकित

मल्होत्रा जिनका चयन

किया गया था

अक्टूबर, 2021। 134/2016,

ओपन मेरिट श्रेणी

दिनांकित सूची

08.09.2009 चुनें।

135/2016 द्वारा पारित,

का उच्च न्यायालय

278/2015 ,

जम्मू & 279/2015 और

कश्मीर और

105/2016 .

लद्दाख

में

श्रीनगर

एस. एल. पी. (सी) नं.

विवादित एल. पी. ए. संख्या। 277 में से

याचिकाएं दायर की गई हैं

3 .

20799-20807 में से

निर्णय और 2015,2016 का 12,

जिन उम्मीदवारों का

चयन किया गया

2016 का 97 का आदेश,

ओपन मेरिट श्रेणी

2021

29 अक्टूबर, 2016 के 134

दिनांकित सूची

08.09.2009 चुनें।

2015 का जम्मू और 2015,279

कश्मीर और

और 2016 का 105।

लद्दाख

में

श्रीनगर

एस. एल. पी. (सी) नं. संदेह हुआ।

नहीं। याचिका दायर की गई है

एस. डब्ल्यू. पी.

4 .

निर्णय और

1685/2009 शीर्षक

जिन उम्मीदवारों का

चयन किया गया था

976/2022

6 तारीख का आदेश

शिवानी बख्शी और

चयन सूची दिनांकित

08.09.2009 में

जुलाई, 2017

ओआरएस। वी. की स्थिति

ओपन मेरिट श्रेणी के

साथ-साथ

जे एंड के और ओआरएस।

निवासियों के लिए

आरक्षित पदों पर

उच्च पारित किया

पिछड़े क्षेत्रों का (आर.

बी. ए.)

अदालत

में से

जम्मू

&

कश्मीर

में

जम्मू

(जम्मू

बेंच)

5 . एस. एल. पी. (सी) नं. संदेह हुआ।

एल. पी. ए. संख्या 277 अपीलों में से श्री द्वारा

दायर की गई हैं।

निर्णय और

2015 , 12 2016 के गगन भारद्वाज जिन्हें अन्य सामाजिक श्रेणी (ओ. एस. सी.) में 2016 के आदेश 97 और 98 के लिए चुना गया था।

967-975

2022

29 अक्टूबर, 2016 की 134 तारीख की चयन सूची के अनुसार

2021 पास किया

2016 , 135 08.09.2009 का।

उच्च न्यायालय

2016 , 278 में से

जम्मू और

2015 , 279 2015 का

कश्मीर और

और 2016 का 105।

लद्दाख

में

श्रीनगर

[2023] 3 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नहीं। संदेह हुआ।

नं. याचिका दायर की गई है

6 .

डायरी

एलपीए

निर्णय और 279/2015,

1194/2022

जिन लोगों को चुना गया है

दिनांकित आदेश 134/2016

और अनुसूचित जाति, अनुसूची

29 अक्टूबर, 135/2016

जनजाति और निवासी

2021 पास किया

वास्तविक नियंत्रण रेखा
(ए. एल. सी.) श्रेणी

उच्च न्यायालय

दिनांकित सूची

08.09.2009 चुनें।

लद्दाख में श्रीनगर

एस. एल. पी. (सी) नं. विवादित एल. पी. ए. संख्या। 277 याचिकाएं दायर की गई हैं

7 .

2642-2650 जम्मू राज्य द्वारा निर्णय और 2015 और 2016 का 12

2016 का आदेश दिनांक 97, कश्मीर का 98 (अब जम्मू का केंद्र शासित प्रदेश)

2022

29 अक्टूबर, 2016 और कश्मीर का 134) और 2021 2016 तक पारित, आयुक्त/सचिव के 135

को

सरकार का उच्च न्यायालय 2016,278, स्वास्थ्य और 2015 का अम्मू और 2015,279

चिकित्सकीय

शिक्षा

कश्मीर और और 2016 का 105।

विभाग, यू. टी. श्रीनगर।

लद्दाख में श्रीनगर

एस. एल. पी. (सी) नं. संदेह हुआ।

नं. याचिकाएं दायर की गई हैं।

8 .

एलपीए

3930-3932 निर्णय और

97/2016 , 98/2016

जम्मू और कश्मीर द्वारा

सेवाएँ

दिनांकित आदेश

और 105/2016।

अधीनस्थ

2022

29 अक्टूबर,

चयन और भर्ती

2021 पास किया

बोर्ड।

उच्च न्यायालय

जम्मू और

कश्मीर और

लद्दाख में

श्रीनगर

एस. एल. पी. (सी) नं. संदेह हुआ।

एल. पी. ए. संख्या 277 याचिकाएं दायर की

गई हैं

9 .

2015 , 12/2016 , जम्मू और कश्मीर

द्वारा

निर्णय और

4359-4364

दिनांकित आदेश

134/2016 ,

सेवाएँ

अधीनस्थ

29 अक्टूबर,

135/2016 ,

चयन और भर्ती

278/2015 और बोर्ड।

2021 पास किया

279/2015 .

उच्च न्यायालय

जम्मू और

कश्मीर और

लद्दाख

में

श्रीनगर

6. हमने विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री रंजीत कुमार और

एसएलपी (सी) सं. में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शोएब आलम। 20781-20789 वर्ष 2021 में, 2022 की डायरी संख्या 1194 में अपीलार्थियों के लिए वरिष्ठ वकील श्री संजय हेगड़े ने एसएलपी (सी) संख्या में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया से बात की। 20790-20798 2021 में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्रीमती. बोर्ड की ओर से उपस्थित माधवी गोराडिया दीवान और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री एस. जनानी-रिट याचिकाकर्ताओं और संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान वकीलों ने रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया।

तज़वीर सिंह सोधी और हमारा। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

प्रस्तुतियाँः

7. शुरुआत में कुछ अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री शोएब आलम ने प्रस्तुत किया कि 29 अक्टूबर, 2021 को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय कानून और तथ्यों की गलत सराहना पर आधारित था और इसलिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान किया गया था।

7.1 . यह प्रस्तुत किया गया था कि यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि इसके लिए कोई प्रक्रिया या आवश्यकता निर्धारित करने वाला कोई नियम या अधिसूचना नहीं थी।

व्यक्तिगत पुरस्कार सूची को बनाए रखने या सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अंतिम पुरस्कार सूची रखने के लिए चयन समिति। कि चयन अभिलेख अंतिम चयन सूची में समाप्त हुए और चयन अभिलेखों को देखने के बाद चयन समिति के दो सदस्यों सहित बोर्ड के सभी सात सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ इसे मंजूरी दी गई। कि उम्मीदवारों के व्यक्तिगत आधार पर की गई गणनाओं को अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापित किया गया था। समेकित बिंदुओं को स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कंप्यूटर में डाला जाता था और बोर्ड के एक अन्य सदस्य द्वारा जाँच की जाती थी। इस आधार पर तैयार की गई अंतिम चयन सूची को बोर्ड के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ चयन रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालाँकि, एकल न्यायाधीश ने इसका उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार, विवादित आदेश और एकल न्यायाधीश का आदेश अपीलार्थियों के पूरे चयन को इस आधार पर दरकिनार करता है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और चयन समिति द्वारा किए गए चयन संदिग्ध थे, गलत और कानून के विपरीत है।

7.2 . यह आगे प्रस्तुत किया गया कि यह कानून की एक तय स्थिति है कि जब एक चयन समिति किसी व्यक्ति के चयन की सिफारिश करती है, तो पक्षपात या पक्षपात के किसी भी आरोप के अभाव में इसे गलत या यांत्रिक तरीके से किया गया नहीं माना जा सकता है। यह कि चयन समिति के निर्णय की शुद्धता के संबंध में एक धारणा उत्पन्न होती है और पक्षपात या पक्षपात का आरोप लगाने वाले पक्ष को इसे साबित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, सदस्यों के खिलाफ दुर्भावना के अभाव में, चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है

सन्देह नहीं किया जा सकता। उनके तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने 3 एस. सी. आर. [2023] रखे।

भारत संघ पर निर्भरता बनाम बिकाश कुआँर, (2006) 8 एस. सी. सी. 192; दयानंद हालो बनाम मुमताज अली शेख, (2008) 4 एस. सी. सी. 619

(दयानंद हालो) और मैसूर विश्वविद्यालय बनाम। सी. डी. गोविंदा राव, (1964) 4 एस. सी. आर. 575।

7.3 . यह तर्क दिया गया था कि चयन रिकॉर्ड के किसी भी हिस्से की अनुपलब्धता के संदर्भ में इस न्यायालय ने त्रिवेदी हिमांशु में कहा है

घनश्यामभाई बनाम अहमदाबाद नगर निगम, (2007) 8 एस. सी. सी. 644 (त्रिवेदी हिमांशु घनश्यामभाई) ने कहा कि केवल इसलिए कि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, इसलिए चयन समिति के सदस्यों के खिलाफ दुर्भावना के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और चयन को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि बोर्ड द्वारा अंतिम चयन सूची के हस्ताक्षरित अनुमोदन के बावजूद, व्यक्तिगत पुरस्कार सूची की अनुपलब्धता के कारण अपीलार्थियों के पूरे चयन को दरकिनार करने वाला विवादित निर्णय और एकल न्यायाधीश का निर्णय कानून के विपरीत है। कि दुर्भावना स्थापित करने का बोझ आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर बहुत अधिक है

यह और दुर्भावनापूर्ण आरोप अक्सर साबित होने की तुलना में आसानी से लगाए जाते हैं, और इस तरह के आरोपों की बहुत गंभीरता, भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी लिमिटेड के अनुसार, विश्वसनीयता के उच्च क्रम के प्रमाण की मांग करती है। बनाम अजय कुमार, (2003) 4 एससीसी 579; बिहार राज्य बनाम पीपी। शर्मा, (1992 सप. (1) एस. सी. सी. 222); अजीत कुमार नाग बनाम इंडियन ऑयल

निगम लिमिटेड, (2005) 7 एस. सी. सी. 764; भारत संघ बनाम अशोक

कुमार (2005) 8 एस. सी. सी. 760।

7.4 . अपीलार्थियों की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि किसी नियम या विनियमन के अभाव में चयन समिति या

चयन और नियुक्ति के कारणों को दर्ज करने के लिए बोर्ड, व्यक्तिगत पुरस्कार सूची की कमी के कारण चयन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम डॉ. के. कल्याण रमन, 1992 सप. (2) एससीसी 481; बी. सी. मैलाराप्पा बनाम डॉ. आर. वेंकटसुब्बैया, (2008) 14 एससीसी306; बैद्यनाथ यादव बनाम आदित्य नारायण रॉय, (2020) 16 एससीसी 799; मोहम्मद। मुस्तफा बनाम भारत संघ, (2022) 1 एस. सी. सी. 294 (मो. मुस्तफा)।

7.5 . यह दावा किया गया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति में अभिवचनों से परे एक सूक्ष्म जांच करने के लिए विस्तारित नहीं है

रिट याचिका। यह तर्क देने के लिए कि रिलायंस को आनंद हालो पर रखा गया था इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक रिट याचिका में तथ्यात्मक पहलुओं पर एक घुमावदार और सूक्ष्म जांच की अनुमति नहीं है। कि एक रिट कोर्ट खुद को तज़वीर सिंह सोधी और ओआरएस नहीं रख सकता है।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

एक तथ्य-खोज आयोग के रूप में और तथ्यों और सूक्ष्म विवरणों में पूरी तरह से नहीं जा सकते हैं, जो अभिवचनों के माध्यम से नहीं बल्कि एक अनावश्यक जांच के आधार पर प्रकट होते हैं। कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने चयन रिकॉर्ड के लिए कहा था, उसी के माध्यम से देखा, एक तथ्य-खोज अभ्यास किया और सूक्ष्म निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, और यह सब, दलीलों के आधार पर नहीं। इस प्रकार, वर्तमान मामला इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक रिट अदालत को क्या नहीं करना चाहिए।

अपीलार्थियों के चयन को अलग रखते हुए अधिकारिता। 7.7 . यह माना गया था कि चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार में भाग लेने वाले व्यक्ति असफल होने पर इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं

चूंकि उनके पास इसे चुनौती देने का कोई कारण नहीं है और उनके द्वारा दायर एक रिट याचिका विचारणीय नहीं है, मदन लाल; अनुपल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 2 एस. सी. सी. 173; दयानंद हालो और मोहम्मद। मुस्तफा। रिलायंस को डी. सरोजकुमारी बनाम आर. हेलेन थिलाकॉम, (2017) 9 एससीसी 478 पर भी रखा गया था। कि वर्तमान मामले में, किसी भी रिट याचिकाकर्ता का चयन योग्यता के आधार पर नहीं किया गया था और वे प्रतीक्षा सूची में भी नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा दायर रिट याचिकाएं नहीं थीं

किसी भी स्थान से रहित होने के आधार पर बनाए रखने योग्य। 7.8 . विद्वान वकील श्री शोएब आलम ने प्रस्तुत किया कि एक बड़े पैमाने पर व्यवस्थित अनियमितता के अभाव में जो वैधता को नकारती है

चयन अभ्यास, पूरे चयन को अलग नहीं रखा जा सकता है। कि यह न्यायालय सचिन कुमार बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन में बोर्ड, (2021) 4 एस. सी. सी. 631; इंदरप्रीत सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य, (2006) 11 एस. सी. सी. 356; भारत संघ बनाम राजेश पी. यू. , (2003) 7 एससीसी 285 (राजेश पी. यू.) यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जो लोग गलत काम करने के लिए निर्दोष हैं, उन्हें उन लोगों के लिए कीमत नहीं चुकानी चाहिए जो वास्तव में अनियमितताओं में शामिल पाए जाते हैं और इसलिए, समग्र रूप से चयन [2023] 3 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

अनियमितताओं के विशिष्ट उदाहरणों के लिए अलग रखा जाए। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक चयन की अखंडता को प्रभावित करने और समान अवसर से वंचित करने वाली कोई व्यवस्थित अस्वस्थता नहीं है, तब तक निर्दोष और मेधावी उम्मीदवारों की नियुक्ति को छीनकर पूरे चयन को अलग नहीं किया जा सकता है।

7.9 . यह निर्णय लेना विशेषज्ञ समिति के अधिकार क्षेत्र में था कि क्या उम्मीदवारों को अधिक अंक दिए जाने चाहिए और इसलिए, यह एक रिट कोर्ट के समक्ष हमले का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, जहां तक उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों का संबंध है। इस दलील को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने मदन लाल और अशोक कुमार यादव बनाम अशोक कुमार यादव मामले में इस अदालत के फैसलों का हवाला दिया।

हरियाणा राज्य (1985) 4 एस. सी. सी. 417।

7.10 . इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता 12 नवंबर, 2009 को अपनी नियुक्ति के बाद से दवा निरीक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं, यानी 13 साल से अधिक की अवधि के लिए, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न ही

उनकी ओर से गलती को किसी भी समय जिम्मेदार ठहराया गया है। अतः लंबे समय तक सेवा करने के कारण उनकी नियुक्ति को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अब एक ऐसी उम्र में हैं जहाँ वे कोई वैकल्पिक रोजगार हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे, बुद्धि नाथ चौधरी बनाम अबाही कुमार, (2001) 3 एससीसी 328 के अनुसार।

7.11 . कि चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं दायर की गईं

रखरखाव योग्य नहीं थे, वही दोषपूर्ण थे क्योंकि सभी नियुक्तियों को पक्षकारों के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

7.12 . श्री पंकज मल्होत्रा, श्री आशीष गुप्ता और सुश्री रूमीसा मोहम्मद के चयन के संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया द्वारा विशिष्ट प्रस्तुतियाँ दी गईं। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त तीन व्यक्तियों के चयन में कोई विसंगति नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा संदेह किया गया है क्योंकि तीनों व्यक्तियों को आसानी से चयन सूची में जगह मिलती है, भले ही एम. फार्मा डिग्री के लिए कोई वेटेज उनके स्कोर में नहीं जोड़ा गया हो। रिट कोर्ट द्वारा बताए गए उपरोक्त तीन व्यक्तियों के चयन में कथित विसंगतियों के बारे में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नानुसार प्रस्तुत कियाः

रुमीसा मोहम्मदः कि उनकी एम. फार्मा की डिग्री थी

(i)

उनके चयन के समय वेटेज नहीं दिया गया था क्योंकि उनके विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें उक्त डिग्री के लिए ग्रेड आवंटित किए गए थे और इस तरह के ग्रेड को इसमें परिवर्तित करने का सूत्र था। प्रतिशत ज्ञात नहीं था।

वह इस तरह के तज़वीर सिंह सोधी और ओआरएस के बिना भी। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

वेटेज, उन्हें रैंक 17 पर चुना गया था। इसके बाद, उन्होंने बोर्ड के साथ एक प्रतिनिधित्व किया

रूपांतरण फॉर्मूला, जिसके अनुसार 30 नवंबर, 2010 के आदेश के अनुसार उनकी एम. फार्मा डिग्री को महत्व दिया गया था, जिसमें उनकी रैंक को 17 से संशोधित करके 4 कर दिया गया था।

आशीष गुप्ताः कि अंतिम पुरस्कार सूची एक टिप्पणी दर्ज करती है

(ख)

मान्यता रद्द कर दी गई और उन्हें अदालत के आदेशों के तहत विनायक मिशन में स्थानांतरित कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि उन्होंने विनायक मिशन से अपनी डिग्री प्राप्त की और भले ही उनकी एम. फार्मा डिग्री को कोई महत्व नहीं दिया गया हो, चयन सूची में उनकी रैंक 14 से 29 पर स्थानांतरित हो जाएगी जबकि कटऑफ रैंक 42 थी। पंकज मल्होत्राः यह प्रस्तुत किया गया था कि वह घेर नहीं सकता था

iii)

उसकी अंकपत्रिका उसके आवेदन के साथ क्योंकि उसने अपना आवेदन जमा करने के बाद ही अंतिम अंकपत्र प्राप्त किया था,

हालाँकि, उन्होंने साक्षात्कार के समय एम. फार्मा पाठ्यक्रम के लिए अपनी अंतिम अंकपत्रिका प्रस्तुत की। वह मूल डिग्री प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि यह तब तक जारी नहीं की गई थी, हालांकि उन्होंने पाठ्यक्रम पास कर लिया था। इस प्रकार, उन्होंने साक्षात्कार के समय एम. फार्मा की योग्यता प्राप्त कर ली थी।

कि भले ही उनके एम. फार्मा को कोई महत्व नहीं दिया गया था डिग्री, चयन सूची में उनकी रैंक 2 से 14 पर स्थानांतरित हो जाएगी

और कटऑफ रैंक 42 थी।

8. श्री संजय हेगड़े, 2022 की डायरी संख्या 1194 में अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें ड्रग के रूप में नियुक्त किया गया था

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वास्तविक नियंत्रण रेखा (ए. एल. सी.) श्रेणियों के निवासियों के निरीक्षकों ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 8 सितंबर, 2009 को प्रतिवादी बोर्ड द्वारा प्रकाशित चयन सूची को अलग करने और रद्द करने में गलती की, जिससे उसके अनुसार की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। यह कि चयन सूची सही थी क्योंकि इसे बोर्ड द्वारा वैध प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रकाशित किया गया था और चयन सूची ने समय के साथ अंतिमता प्राप्त कर ली है। 8.1 . यह आगे प्रस्तुत किया गया कि रिट कोर्ट के समक्ष सुनवाई के अवसर से इनकार और उनकी नियुक्तियों को रद्द करना, [2023] 3 एस. सी. आर.

नियुक्ति को कभी भी उत्तरदाताओं/असफल उम्मीदवारों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और उन्हें किसी भी मामले में पक्षकार के रूप में नहीं देखा गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और रिट याचिकाओं का उल्लंघन करने वाली रिट याचिकाओं को आवश्यक पक्षों के गैर-भागीदारों द्वारा प्रभावित किया गया था।

8.2 . इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि इनमें से कोई भी उम्मीदवार नहीं था।

गैर-चयनकर्ता, जो इन याचिकाकर्ताओं के चयन को चुनौती दे सकते थे, क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और वास्तविक नियंत्रण रेखा (ए. एल. सी.) श्रेणी के निवासी हैं और

5 मई, 2008 की विज्ञापन सूचना, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सात पदों, अनुसूचित जाति श्रेणी के छह पदों और ए. एल. सी. से संबंधित और उसके आसपास रहने वाले उम्मीदवारों के दो पदों का विज्ञापन किया गया था और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत विज्ञापित पदों की संख्या से कम उम्मीदवार उपलब्ध थे। जहाँ तक ए. एल. सी. श्रेणी के पदों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल तीन उम्मीदवारों ने दो पदों के खिलाफ आवेदन किया और ए. एल. सी. के तहत एक असफल उम्मीदवार ने ए. एल. सी. से संबंधित याचिकाकर्ताओं के चयन को कभी चुनौती नहीं दी और यह तथ्य बोर्ड द्वारा जारी चयन सूची से स्पष्ट था, जिसमें औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए चौंसठ उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। अनुसूचित जनजाति के सात पदों में से चार पद और अनुसूचित जाति के छह पदों में से तीन पद उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रहे।

8.3 . यह तर्क दिया गया कि यह तथ्य कि ऐसे अपीलकर्ताओं को कभी भी पक्षकार नहीं बनाया गया था और फिर भी पूरे चयन को अलग कर दिया गया था, स्वयं ही 2022 की डायरी संख्या 1194 में अपीलकर्ताओं के विवादित निर्णय को दरकिनार करने के लिए एक स्वतंत्र कारण और आधार था। कि विवादित निर्णय ने आवश्यकतानुसार गैर-संयुक्त होने के बावजूद ऐसे अपीलार्थियों के भाग्य का फैसला किया

पार्टियाँ।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और 29 अक्टूबर, 2021 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और 18 दिसंबर, 2015 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया जाए।

तज़वीर सिंह सोधी और हमारा। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इस प्रकार, सभी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मेधावी उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए चयन समिति गठित की गई थी (i) बोर्ड के अध्यक्ष (एक आई. ए. एस. अधिकारी); (ii) बोर्ड के सदस्य (कश्मीर प्रशासनिक अधिकारी); और (iii) एक विशेषज्ञ/विशेषज्ञ जो श्रीनगर के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था। यह तर्क दिया गया था कि यदि कुछ उम्मीदवारों को लाभान्वित करने के लिए वाइवा-वॉस में अंकों में हेरफेर करने का कोई गुप्त उद्देश्य था, तो बोर्ड के अध्यक्ष उम्मीदवारों के चयन के लिए वाइवा-वॉस का संचालन करने के लिए केवल स्वयं की एक सदस्य समिति का गठन कर सकते थे।

9.2 . यह आगे तर्क दिया गया कि तीन सदस्यीय चयन समिति के प्रत्येक सदस्य ने प्रत्येक उम्मीदवार का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया और वाइवा-वॉस में अंक प्रदान किए, जो कि संख्या तीन से विभाजित करके औसत किए गए थे और इसी का प्रमाण वाइवा-वॉस में उम्मीदवारों को दिए गए अंकों से किया जा सकता है जैसे कि 11.67,13.67,11.33

आदि। ;

9.3 . जहाँ तक चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य द्वारा दिए गए अंकों का संबंध है, विद्वान ए. एस. जी. को [2023] 3 एस. सी. आर. में लाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 18 दिसंबर, 2015 का न्यायालय का नोटिस, आदेश जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयन समिति के स्थान पर कदम नहीं रखा जा सकता है और न ही यह जाँचने में अपीलीय भूमिका ग्रहण कर सकता है कि क्या चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा में दिए गए अंक अत्यधिक थे और ऐसी परीक्षा में प्रदर्शन के अनुरूप नहीं थे।

इसके अलावा, कि उत्तरदाताओं ने उपरोक्त निष्कर्ष और वास्तव में, उपरोक्त अवलोकन को चुनौती देते हुए अपील/एल. पी. ए. दायर नहीं करने का विकल्प चुना।

एकल न्यायाधीश बनाम चयन समिति द्वारा आवंटित अंकों की अनुभाग पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी।

विद्वान ए. एस. जी. ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं द्वारा डिवीजन बेंच के अवलोकन को चुनौती देते हुए कोई एस. एल. पी. दायर नहीं की गई थी।

मौखिक रूप से अंक प्रदान करने में चयन समिति द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार के संबंध में। इस प्रकार, यह अवलोकन कि चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा में दिए गए अंकों की अदालत द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समीक्षा नहीं की जा सकती है, अंतिम रूप ले चुका है।

9.4 . विद्वान ए. एस. जी. ने जसविंदर सिंह बनाम एस.

चयन क्षेत्र। यह भी माना गया कि कुछ नगण्य उदाहरणों को चुनना या तो चयन की विधि को कम करने या अंततः किए गए चयन के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकता है। उक्त मामले में, यह भी देखा गया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक व्यक्ति जिसने लिखित में अच्छा प्रदर्शन किया है परीक्षण, वाइवा-वॉयस परीक्षण में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा या माना जाना चाहिए।

9.5 . विद्वान ए. एस. जी. ने 1992 के नियमों के नियम 10 का हवाला दिया जो यह तर्क देने के लिए भर्ती और चयन का प्रावधान करता है कि कोई नहीं है औषधि निरीक्षकक नियुक्ति लेल निर्धारित प्रक्रिया। नियम 10 (i) में कहा गया है कि बोर्ड ऐसे परीक्षणों या परीक्षाओं को आयोजित करने के बाद चयन को अंतिम रूप देगा जो नियमों के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं या यदि ऐसे कोई नियम नहीं हैं, जिन्हें बोर्ड आवश्यक समझे। इस प्रकार, यह रिकॉर्ड की बात है कि दवा निरीक्षकों के चयन के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं और निर्धारित नियमों के अभाव में, चयन समिति और तज़वीर सिंह सोधी और ओआरएस।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

बोर्ड ने चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया। केवल इसलिए कि मामले का रिकॉर्ड पता नहीं चल सका था जब फरवरी 2015 में एकल न्यायाधीश द्वारा इसे बुलाया गया था, यानी 6 साल बाद।

चयन/नियुक्तियाँ की गई थीं, यह पूरी चयन प्रक्रिया को अलग करने का आधार नहीं हो सकता है।

तीसरा, श्री आशीष गुप्ता के मामले में, एम. फार्मा की डिग्री रखने के कारण उन्हें अंक दिए गए थे, जो कट-ऑफ तिथि से पहले आवेदन पत्र के साथ दाखिल की गई थी। उक्त अभिकथनों के साथ, यह तर्क दिया गया कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाए।

10. इसके विपरीत, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री एस. जनानी, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि

वही इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं क्योंकि निर्णय [2023] 3 एस. सी. आर.

कानून और तथ्यों की निर्विवाद सराहना के आधार पर पारित किए गए थे।

10.2 . इसके बाद यह तर्क दिया गया कि पात्रता मानदंड को बीच में ही बदल दिया गया था। शुरू में, पात्रता मानदंड के लिए आवश्यक था कि समकक्ष योग्यता को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी जाए और अधिसूचित किया जाए। हालांकि, स्वीकृत मानदंडों में, इसे हटा दिया गया था। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि मानदंड को इसके बाद बदल दिया गया था विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्त हुए थे। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कई उम्मीदवारों और उज्ज्वल लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा और गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों के कई व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, चयन बोर्ड के पास प्रमाण पत्रों की वास्तविकता या विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई थी या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

10.3 . कि कुछ चयनित उम्मीदवारों ने बी. फार्मा या एम. फार्मा की अपनी मूल मार्कशीट प्रस्तुत नहीं की थी। साक्षात्कार और उनमें से कुछ ने अपना जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। यह विज्ञापन में जो कहा गया था, उसके विपरीत था।

विज्ञापन के अनुसार, उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय मूल योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने थे और कोई भी उम्मीदवार जो इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा, उसे लिखित या मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जानी थी।

10.4 . यह तर्क दिया गया कि प्रक्रिया मनमानेपन और लापरवाही से दूषित थी जिसके साथ चयन समिति ने काम किया था।

वह तज़वीर सिंह सोधी और हमारा। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

यह इस तथ्य से प्रमाणित हुआ कि कुछ उम्मीदवार थे जिन्हें उनकी एम. फार्मा डिग्री के लिए अंक नहीं दिए गए थे और उन्हें बाद में बोर्ड से संपर्क करना पड़ा। उस 11 चयनित उम्मीदवारों को 20 में से 20 अंक दिए गए और तीन को 20 में से 19 अंक दिए गए। इस प्रकार, चयनित उम्मीदवारों में से लगभग 20 प्रतिशत को मौखिक परीक्षा में असामान्य रूप से अधिक अंक दिए गए, जिससे उनके चयन में आसानी हुई।

10.5 . यह प्रस्तुत किया गया था कि चयन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा चयन को चुनौती देने के लिए कोई व्यापक अवरोध नहीं था। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को पता नहीं था कि उन्होंने चयन में कब भाग लिया था कि चयन समिति

यह त्रुटिपूर्ण था और न ही उन्हें चयन सूची प्रकाशित होने तक पता था कि कई चयनित उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के समय अपने मूल योग्यता प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। कि चयन बोर्ड के पास भी प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सत्यता को सत्यापित करने की सुविधा नहीं थी।

10.6 . उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने भरोसा रखा

सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी, (2006) 4 एस. सी. सी. 1 ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इस दलील पर अपनी नियुक्ति का संरक्षण नहीं मांग सकते हैं कि वे लंबे वर्षों से काम कर रहे थे, अगर उनके प्रारंभिक चयन को अवैध और दोषपूर्ण माना गया था।

10.7 . उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने निष्कर्ष निकाला कि

यह बताते हुए प्रस्तुतियाँ कि दवा निरीक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या 84 है और कुल संख्या में से 65 वर्तमान में काम कर रहे हैं। वास्तव में, 65 निरीक्षकों में से 4 को पदोन्नत किया गया था, इस प्रकार, अब तक 25 रिक्तियां हैं और केवल 17 उम्मीदवार इस न्यायालय के समक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य सभी याचिकाकर्ताओं ने मामले को लड़ने का विकल्प नहीं चुना है, भले ही इस न्यायालय द्वारा सामान्य तरीके से और समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से भी नोटिस जारी किया गया था। इस प्रकार, सभी याचिकाकर्ताओं को समायोजित किया जा सकता है और रिक्त पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि विवादित

उच्च न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि की जाए और वर्तमान अपीलों को योग्यता से रहित बताते हुए खारिज कर दिया जाए।

विचार के लिए बिंदुः

11. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित बिंदु होंगेः

हमारे विचार के लिएः

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय है

(i)

जम्मू और कश्मीर राज्य में औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए 8 सितंबर, 2009 को आयोजित चयन प्रक्रिया और 12 नवंबर, 2009 को प्रकाशित नियुक्तियों को रद्द करने और अलग करने में गलती की?

कौन सा आदेश?

(ख)

सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रियाः द्वारा हस्तक्षेप

अदालतेंः

12. आगे बढ़ने से पहले, हमारी प्रस्तावना करना आवश्यक है

इस दृष्टिकोण के साथ निर्णय कि भारत में न्यायालय आम तौर पर सार्वजनिक रोजगार की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचते हैं, चयन प्रक्रिया की स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखने के महत्व को पहचानते हैं। अदालतें मानती हैं कि चयन की प्रक्रिया में उच्च स्तर का चयन शामिल है।

विशेषज्ञता और विवेकाधिकार और यह कि न्यायालयों के लिए चयन समिति के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करना उचित नहीं है। अगर हम चयन बोर्ड का हिस्सा बनने वाले विशेषज्ञों के फैसले की समीक्षा करने का साहस करते हैं तो यह वास्तव में हमारे लिए एक छोटा कदम होगा। चयन प्रक्रिया और उसके परिणामों की न्यायिक समीक्षा के दायरे और विस्तार पर कानून को निम्नलिखित मामले कानून पर विचार करने पर समझा जा सकता हैः

i) दलपत में अबासाहेब सोलुंके बनाम। डॉ. बी. एस. महाजन, आकाशवाणी

1990 एस. सी. 434, इस न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के दायरे को स्पष्ट किया

चयन प्रक्रिया का, निम्नलिखित शब्दों में: " 9 ..... इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि चयन के निर्णयों पर अपील सुनना अदालत का काम नहीं है

समितियाँ और इसके सापेक्ष गुणों की जांच करना

उम्मीदवार। क्या उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है

या विधिवत गठित चयन समिति द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए जिसके पास इस विषय पर विशेषज्ञता है। अदालत ने

ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन में अवैधता या पेटेंट सामग्री की अनियमितता।

या चयन को दूषित करने वाली इसकी प्रक्रिया, या चयन आदि को प्रभावित करने वाली दुर्भावना साबित हुई।

(ii) इसी तरह से, सेकी में। (स्वास्थ्य) विभाग। स्वास्थ्य और एफ. डब्ल्यू. बनाम डॉ. अनीता पुरी, (1996) 6 एस. सी. सी. 282, इस न्यायालय ने अजवीर सिंह सोधी और ओ. आर. एस. का अवलोकन किया।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

चयन प्रक्रिया की पवित्रता के संबंध में और जिन आधारों पर उनके परिणामों में हस्तक्षेप किया जा सकता हैः

" 9. ..... यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई चयन लोक सेवा आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाता है जो

जिस क्षेत्र के लिए चयन किया जाना है, उसमें तकनीकी अनुभव और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाती है कि अदालतों को विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने में तब तक देरी करनी चाहिए जब तक कि दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाए जाते और स्थापित नहीं किए जाते।

अदालतों के लिए यह विवेकपूर्ण और सुरक्षित होगा कि वे ऐसे मामलों पर निर्णय उन विशेषज्ञों पर छोड़ दें जो अदालतों की तुलना में उनके सामने आने वाली समस्याओं से अधिक परिचित हैं। यदि विशेषज्ञ निकाय सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार करने के बाद किसी निर्दिष्ट पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करता है, तो न्यायालय को सामान्य रूप से इस तरह के चयन और मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

99

iii) इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा एम. वी. थिमैया में दोहराया गया था।

बनाम संघ लोक सेवा आयोग, (2008) 2 एससीसी 119,

निम्नलिखित शब्दों में: " 21. अब, चयन के संबंध में सवाल आता है

उम्मीदवारों को। आम तौर पर, चयन की सिफारिशें

वैधानिक नियमों का ईमानदारी से या गंभीर उल्लंघन। अदालतें नहीं कर सकतीं सिफारिशों की जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में बैठें

अपील न्यायालय की तरह चयन समिति की। यह

उम्मीदवारों का और न ही अदालत का काम जांच करना है प्रत्येक उम्मीदवार अपनी राय दर्ज करें।

XXX

30. हम यह समझने में विफल हैं कि न्यायाधिकरण व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए बुलाने और इस अभ्यास को करने के लिए चयन समिति का गठन करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कैसे बैठ सकता है। यह शक्ति नहीं दी गई है

न्यायाधिकरण और यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि चयन समिति का मूल्यांकन न्यायाधिकरण के समक्ष या अदालतों द्वारा अपील के अधीन नहीं है। अपना मूल्यांकन करने के लिए चयन समिति को श्रेय देना पड़ता है और यह इसके अधीन नहीं है -

अपील करें। उम्मीदवारों के ए. सी. आर. के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, एक को बहुत अच्छा और दूसरे को अच्छा माना जा सकता है।

यदि इस प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है तो वस्तुतः यह होगा कि न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों ने चयन समिति के रूप में बैठना शुरू कर दिया है या चयन पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई फैसलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। (iv) ओम प्रकाश पोपलाई और राजेश कुमार माहेश्वरी बनाम।

" 5. ..... विशेषज्ञ समिति द्वारा सदस्यों का चयन अनुभव, व्यावसायिक योग्यता और इसी तरह के संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर किया जाना था। वर्तमान मामलों में, हम पाते हैं कि इनमें से प्रत्येक कारक के लिए कुछ प्रतिशत अंक आवंटित किए गए थे, अर्थात्, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, वित्तीय पृष्ठभूमि और सार्वजनिक मुद्दों आदि से संबंधित प्रासंगिक कानूनों और प्रक्रियाओं का ज्ञान। आवंटित कुल अंकों में से केवल 20 प्रतिशत साक्षात्कार के लिए आरक्षित थे। इसलिए, विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से समिति के सदस्यों की इच्छा पर नहीं छोड़ी गई थी।

खेल का क्षेत्र 20 प्रतिशत तक सीमित था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेषज्ञ समिति के सदस्य

केंद्र द्वारा नामित दो सदस्यों से मिलकर सरकार के लिए इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि उन्होंने अनुचित या मनमाने तरीके से काम किया।

12.1 . इस प्रकार, जो अटूट निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि यह न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है।

च, चयन प्रक्रिया के गुण-दोष में प्रवेश करने के लिए, एक ऐसा कार्य जो चयन समिति के विशेषज्ञ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और निश्चित रूप से इस चेतावनी के लिए है कि यदि वैधानिक नियमों के उल्लंघन या उल्लंघन के सिद्ध आरोप हैं, तो केवल अंतर्निहित योग्यता के ऐसे मामलों में, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस प्रकार, न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयन समिति के स्थान पर नहीं जा सकते हैं या एक अपीलीय जजवीर सिंह सोधी और ओआरएस ग्रहण नहीं कर सकते हैं।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

यह जांचने की भूमिका कि क्या चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा में दिए गए अंक अत्यधिक हैं और उनके अनुरूप नहीं हैं

इस तरह के परीक्षण में प्रदर्शन। चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और मूल्यांकन समिति के सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस स्थिति के आलोक में कि एक अदालत एक उचित रूप से मजबूत चयन प्रक्रिया के अनुसार लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील में नहीं बैठ सकती है, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए निम्नलिखित आधार, जो चयन बोर्ड/साक्षात्कार पैनल द्वारा उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने में नियोजित व्यक्तिपरक मानदंडों के हमले पर आधारित हैं, अर्थात्, (i) उम्मीदवार जिन स्नातकोत्तर उम्मीदवारों ने अपना स्नातकोत्तर किया था उन्हें 10 अंक दिए गए थे और मौखिक परीक्षा में ऐसे स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को या तो 18 अंक या 20 में से 20 अंक दिए गए थे। ((ii) यद्यपि रिट याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को पूरा करते समय मनमाने तरीके से काम किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं मानेंगे कि

पानी।

13. मामले का अगला पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, रिट याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि पूरी चयन प्रक्रिया को पात्रता मानदंड के रूप में दूषित कर दिया गया था। 5 मई, 2008 के विज्ञापन नोटिस को एक शुद्धिपत्र के माध्यम से फिर से तैयार किया गया था

दिनांक 12 जून, 2009, बिना किसी उचित कारण के। इस विवाद पर विचार करने के लिए, निम्नलिखित मामले कानून को ध्यान में रखा जा सकता हैः

मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य, (2010) 12

(i)

एस. सी. सी. 576, इस न्यायालय ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि बिना किसी विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, यह

एक असफल उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए खुला नहीं होगा

चयन मानदंड बाद में।

रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी, (2013) 11 एससीसी

(ख)

309 , फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा पास करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों ने एक रिट याचिका प्रस्तुत की और विज्ञापन और चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि विज्ञापन और परीक्षण उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक सेवा नियम, 1998 के प्रावधानों के विपरीत थे। छूट और रोक के सिद्धांत पर कई

निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने [2023] 3 एस. सी. आर. के लिए चुनौती को स्वीकार नहीं किया।

इसका कारण यह है कि इसके बाद इसे बनाए नहीं रखा जा सकेगा

चयन प्रक्रिया में भागीदारी। प्रासंगिक

इस न्यायालय की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 24. उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों में निर्धारित प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि चयन की प्रक्रिया में पूरी जानकारी के साथ भाग लेने के बाद कि भर्ती सामान्य नियमों के तहत की जा रही थी, उत्तरदाताओं ने विज्ञापन या बोर्ड द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के अपने अधिकार को माफ कर दिया था

चयन करने के लिए और विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने द्वारा की गई शिकायत पर विचार करके गंभीर त्रुटि की

उत्तरदाता "।

इसी तरह, अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य, (2017) 4 एस. सी. सी. 357 में, दीवानी अदालत के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। उक्त मामले में चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाना था, जिसके लिए 85 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे।

मानकों के अनुसार क्रमशः निर्धारित। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले 27 (सत्ताईस) उम्मीदवारों में से 14 (चौदह) योग्य। उनसे पूछताछ की गई। समिति ने योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया और एक सूची तैयार की। उच्च न्यायालय ने चयन सूची को मंजूरी देने से इनकार कर दिया

इस आधार पर कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पूर्ण अंकों का अनुपात 90 होना चाहिए थाः 10 और लिखित परीक्षा में योग्यता अंक 45 होने चाहिए। एक नई प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें एक लिखित परीक्षा (पूर्ण अंक-90) शामिल थी।

और योग्यता अंक-45) और एक साक्षात्कार (10 अंकों का)। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, परिणाम

घोषित किए गए और 6 (छह) व्यक्तियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने 4 (चार) अन्य असफल उम्मीदवारों के साथ प्रारंभिक चयन सूची को मंजूरी देने से इनकार करने वाले प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। प्राथमिक आधार यह था कि नियुक्ति प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया था, क्योंकि संबंधित नियमों के तहत, लिखित परीक्षा में 85 अंक और साक्षात्कार में 15 अंक की आवश्यकता होती थी। इस न्यायालय ने इस आधार पर अपीलों को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता तज़वीर सिंह सोधी और ओआरएस।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

जब नई चयन प्रक्रिया हुई तो स्पष्ट रूप से सूचित किया गया कि लिखित परीक्षा में 90 अंक और साक्षात्कार में 10 अंक होंगे। न्यायालय का विचार था कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अपीलार्थी

बिना किसी आपत्ति के और बाद में सफल नहीं पाए जाने पर, उनके कहने पर प्रक्रिया के लिए एक चुनौती को रोक दिया गया था। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 13. इस न्यायालय के कई फैसलों में इस विषय पर कानून को स्पष्ट किया गया है। चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम।

शकुंतला शुक्ला, इस न्यायालय ने यह सिद्धांत निर्धारित किया कि जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है, तो प्रक्रिया को चुनौती देने से रोक दिया जाता है। एक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का सवाल वहाँ नहीं उठेगा जहाँ एक उम्मीदवार उपस्थित हुआ हो और भाग लिया हो। वह बाद में मुड़कर यह तर्क नहीं दे सकता कि प्रक्रिया अनुचित थी या इसमें कोई कमी थी, केवल इसलिए कि परिणाम सुखद नहीं है। भारत संघ में v. एस. विनोद कुमार (2007) 8 एससीसी 100, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: 18. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जिन उम्मीदवारों के पास था चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले पूरी तरह से जानते हुए कि उसमें निर्धारित प्रक्रिया उसी पर सवाल उठाने के हकदार नहीं थे (मुनिंद्र कुमार बनाम भी देखें। राजीव गोविल (1991) 3 एस. सी. सी. 368 और रश्मि मिश्रा बनाम एम. पी. लोक सेवा

आयोग (2006) 12 एससीसी 724) "।

13.1 . इसलिए यह सामान्य बात है कि उम्मीदवार बिना किसी विरोध या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं।

असफल घोषित होने के बाद भी। उम्मीदवार एक ही समय में अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल इसलिए कि चयन प्रक्रिया का परिणाम किसी उम्मीदवार के लिए सुखद नहीं है, वह

यह आरोप नहीं लगा सकते कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या इस प्रक्रिया में कुछ कमी थी। इसलिए, हम पाते हैं कि इन मामलों में रिट याचिकाकर्ता, चयन मानदंडों को फिर से निर्धारित करने के पीछे के तर्क पर अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्होंने मानदंडों को फिर से तैयार करने के बाद भी चयन प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लिया था। संशोधित मानदंडों के आलोक में उनकी उम्मीदवारी वापस नहीं ली गई थी। चयन प्रक्रिया में असफल घोषित किए जाने के बाद ही उनके खिलाफ एक चुनौती दी गई थी, जिस स्तर पर चुनौती [2023] 3 एस. सी. आर. होनी चाहिए।

छूट और स्वीकृति के सिद्धांत के आलोक में मनोरंजन नहीं किया गया है। 13.2 . इस न्यायालय ने आनंद हालो मामले में कहा है कि छूट के नियम का एकमात्र अपवाद चयन बोर्ड की ओर से दुर्भावना का अस्तित्व है। वर्तमान मामले में, हम चयन प्रक्रिया में कोई दुर्भावना या मनमानेपन नहीं पा रहे हैं और इसलिए उक्त अपवाद को लागू नहीं किया जा सकता है।

पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करनाः क्या यह उचित है?

14. वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों के पूरे चयन को उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से व्यक्तिगत पुरस्कार सूची या व्यक्तिगत रूप से अंक प्रदान करने वाली अंकपत्रिकाओं की अनुपलब्धता के आधार पर रद्द कर दिया गया है। क्या इस तरह की अनियमितता पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित कर देगी और इसे शून्य कर देगी, यह इस मामले का अगला पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

14.1 . कुमारी अनामिका मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय,

ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 461 में उत्तर प्रदेश राज्य की शैक्षिक सेवाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती शामिल थी। दो चरणों वाली भर्ती थी जिसमें एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल था। यह पाया गया कि लिखित परीक्षा के बाद, कंप्यूटर में डेटा के अनुचित फीड के कारण, लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था और कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को न केवल साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, बल्कि अंत में उनका चयन किया गया था। लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। उक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 4. हमने पक्षकारों के वकील को सुना है और हमारा विचार है कि जब लिखित परीक्षा के संबंध में कोई दोष नहीं बताया गया था और एकमात्र आपत्ति लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के एक समूह के बहिष्कार तक सीमित थी।

साक्षात्कार, लिखित रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था

भर्ती परीक्षा का हिस्सा "।

अतः उपरोक्त मामला ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जहां पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया था। यह उचित था क्योंकि लिखित परीक्षा में कोई प्रणालीगत दोष नहीं था, और यह मुद्दा केवल साक्षात्कार में उम्मीदवारों को अंक देने के संबंध में था। तज़वीर सिंह सोधी और ओआरएस को अलग करके स्थिति को ठीक किया जा सकता था।

वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

साक्षात्कार चरण के बाद किया गया चयन और यदि मामला आवश्यक है तो सभी योग्य उम्मीदवारों के नए साक्षात्कार के लिए बुलाना जो तत्काल मामले में भी ऐसा नहीं है। 14.2 . मोहिंदर सैन गर्ग बनाम पंजाब राज्य, (1991) में 1 एस. सी. सी. 662,1200 उम्मीदवारों को 54 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। हालांकि इसे एक उचित पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं अपनाया गया था

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह चयन को दूषित नहीं करेगा, विशेष रूप से जब इसे दुर्भावनापूर्ण या खराब उद्देश्य से दूषित नहीं कहा जा सकता है।

14.3 . राजेश पी. यू. में इस न्यायालय की टिप्पणियां इस प्रश्न के संबंध में अत्यधिक शिक्षाप्रद हैं कि क्या पूरी चयन प्रक्रिया को दरकिनार करना किसी दिए गए मामले में अत्यधिक या असमान उपाय होगा। उक्त मामले में इस न्यायालय के प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

" ..... रद्द करने के लिए एकतरफा कठोर और मनमाना मानक लागू करना

फर्म और सकारात्मक होने के बावजूद चयन की संपूर्णता यह जानकारी कि ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से 31 को छोड़कर, दूसरों के संदर्भ में कोई कमजोरी नहीं पाई जा सकी, प्रासंगिकता की पूरी तरह से उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं है।

अपरिवर्तनीयताएँ, प्रासंगिक विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, स्थिति से निपटने के लिए सख्ती से और उचित रूप से दूर जाने में आनुपातिकता के सिद्धांत को हवा में फेंक देते हैं। संक्षेप में, सक्षम प्राधिकारी ने पूरे चयन को पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक रूप से रद्द करने का इतना चरम और अनुचित निर्णय लेने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया। तथ्यात्मक स्थिति भी पाई गई, और जो दांव पर थी उसकी प्रकृति और गंभीरता से पूरी तरह से अधिक थी, जिससे वस्तुतः इस तरह का प्रतिपादन होता है

अतार्किक होने का निर्णय "।

14.4 . वर्तमान मामले में, बोर्ड के सदस्यों द्वारा अंतिम चयन सूची के हस्ताक्षरित अनुमोदन के बावजूद, व्यक्तिगत पुरस्कार सूची की अनुपलब्धता के कारण अपीलार्थियों का पूरा चयन अलग कर दिया गया था।

क्या पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना अत्यधिक या उचित था, यह अपनाई गई चयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा और क्या यह मनमाना है या चयन बोर्ड की ओर से किसी भी दुर्भावना को प्रकट करता है।

14.5 . तत्काल मामले में अपनाई गई चयन प्रक्रिया को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

चयन की प्रक्रिया 1992 के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित थी। जम्मू और कश्मीर सरकार।

उक्त नियमों के नियम 9 (i) में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड का अध्यक्ष "एक या अधिक" की समिति नामित कर सकता है।

बोर्ड के सदस्य, अन्य बातों के साथ-साथ, नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के चयन के उद्देश्य से साक्षात्कार आयोजित करने के लिए

राज्य संवर्ग के लिए।

नियम 9 (iii) के तहत, अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक महसूस करता है, तो चयन समिति के साथ उस विषय में एक विशेषज्ञ/विशेषज्ञ को संबद्ध कर सकता है जिसमें भर्ती की जानी है।

नियम 9 के पहले परंतुक में प्रावधान है कि चयन

उक्त समिति द्वारा किए गए अनुमोदन को नियुक्ति प्राधिकारी को भेजे जाने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

बेहतर मूल्यांकन के लिए, 1992 का नियम 9 और 9 ए

नियम निम्नानुसार निकाले गए हैं:

समितियों का संयोजनः

अध्यक्ष एक समिति नामित कर सकता है जो

इसमें बोर्ड के एक या अधिक सदस्य शामिल होते हैं। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन के उद्देश्यों के लिए परीक्षा आयोजित करने और साक्षात्कार और परीक्षण आयोजित करने के लिए

राज्य संवर्ग के लिए;

ऐसी प्रत्येक समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। और जहां अध्यक्ष समिति का सदस्य नहीं है, वहां अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य द्वारा, और

अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक महसूस करता है तो चयन समिति के विशेषज्ञ/विशेषज्ञ के साथ सहयोग कर सकता है।

कौन सी भर्ती की जानी है।

अध्यक्ष संभागीय और जिले में नियुक्त होने के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा, साक्षात्कार और परीक्षण आयोजित करने और आयोजित करने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों की एक समिति नामित कर सकता है।

संवर्ग;

बशर्ते कि उक्त समिति की अध्यक्षता की जाएगी

अध्यक्ष और सिंह सोधी और ओ. आर. एस. द्वारा नामित बोर्ड के सदस्य द्वारा।

वी. द स्टेट ऑफ जम्मू ओ कश्मीर एंड ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

समिति के अन्य सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा पैनल या बोर्ड द्वारा समय-समय पर तैयार और अनुमोदित नामों में से नामित किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा किए गए चयन को नियुक्ति प्राधिकरण को भेजे जाने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बशर्ते कि जिला संवर्ग में आने वाले पदों के लिए चयन के संबंध में, के जिला अधिकारी

जिस अनुशासन में चयन किया जाना आवश्यक है, उसे भी उक्त समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

" 9 - ए. इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सरकार किसी भी विशेष रोजगार अभियान के लिए कर सकती है। अध्यक्ष को परीक्षा/परीक्षणों के संचालन और साक्षात्कार या दोनों आयोजित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत करना।

राज्य/मंडल/जिला संवर्ग के पदों पर नियुक्त होने के लिए उम्मीदवारों का चयनः

I. राज्य संवर्ग के पद

1. बोर्ड के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य

सभापति द्वारा नामित।

2. इंडेंटिंग विभाग के प्रमुख या सचिव

संबंधित प्रशासनिक विभाग।

3. सभापति द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।

II. संभागीय संवर्ग के पद

1. अध्यक्ष द्वारा नामित बोर्ड के सदस्य,

समिति का संयोजक कौन होगा।

2. संबंधित प्रभाग के अतिरिक्त आयुक्त।

3. इंडेंटिंग विभाग के प्रमुख।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

4. सदस्य द्वारा नामित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति

समिति की अध्यक्षता करने वाला बोर्ड।

जिला संवर्ग के पद।

1. अध्यक्ष द्वारा नामित बोर्ड के सदस्य

समिति का संयोजक कौन होगा।

2. जिले के जिला रोजगार अधिकारी।

3. इंडेंटिंग कार्यालय/विभाग के जिला प्रमुख।

4. सदस्य द्वारा नामित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति

समिति की अध्यक्षता करने वाला बोर्ड।

बशर्ते किः - (क) अध्यक्ष यदि आवश्यक महसूस करता है तो किसी विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकता है,

उस विषय में विशेषज्ञ जिसमें राज्य संवर्ग के पद के संबंध में नियुक्ति की जानी है;

(ख) संभागीय स्तर की चयन समिति/जिला स्तर की चयन समिति की अध्यक्षता करने वाला सदस्य यदि आवश्यक महसूस करता है तो उस विषय में एक विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकता है जिसमें संभागीय/जिला संवर्ग के पदों के संबंध में भर्ती की जानी है।

(ग) उपरोक्त समितियों की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा की जाएगी, जैसा भी मामला हो।

(घ) विशेष परिस्थितियों के मामले में, बोर्ड

उपरोक्त समिति/समितियों को चयन सूची को नियुक्ति प्राधिकरण को भेजने के लिए अधिकृत करना और इस कार्रवाई को आयोग की मंजूरी माना जाएगा।

बोर्ड;

(ङ) जिला रोजगार अधिकारी जिले के लिए आवेदन प्राप्त करने, संकलित करने और छोटी सूची बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

संवर्ग पद; "

जून 2009 में तीन सदस्यीय चयन समिति बनी।

बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा गठित

साक्षात्कार। समिति के अध्यक्ष

बोर्ड, सुश्री सलमा हामिद और डॉ. समीना फरहत। इसके बाद, उक्त चयन द्वारा दिए गए अंक

वाइवा में समिति-आवाज/साक्षात्कार और अंक सिंह सोधी और ओआरएस।

वी. द स्टेट ऑफ जम्मू ओ कश्मीर एंड ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

शैक्षणिक योग्यता के लिए दिए गए पुरस्कारों को अंतिम पुरस्कार सूची के माध्यम से सभी उम्मीदवारों के लिए सारणीबद्ध किया गया था। अंतिम पुरस्कार सूची बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और

अंतिम चयन सूची को शामिल करने वाले पत्र पर बोर्ड के सभी सात सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इन सात सदस्यों में से दो चयन समिति के सदस्य थे। विषय विशेषज्ञ जिसे नियम 9 (iii) के तहत नियुक्त किया गया था। द.

चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया इस प्रकार थीः लघु-सूचीबद्ध उम्मीदवारों के साक्षात्कार के अनुपात में आयोजित किए गए थे

1 : 5 .

साक्षात्कार पूरा होने पर, पुरस्कार को प्रत्येक सदस्य द्वारा एक लिफाफे में सील कर दिया गया और बोर्ड को सौंप दिया गया

आगे की प्रक्रिया के लिए संयोजक के माध्यम से

चयन प्रक्रिया की शुरुआत के समय, सीलबंद

संयोजक और समिति के सदस्यों के लिफाफों को खोला गया और गणना और अंकों को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में डाला गया, जो तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक अंकों के भार के साथ साक्षात्कार में प्राप्त किए गए थे।

उद्देश्य के लिए।

साक्षात्कार पुरस्कारों के बुनियादी डेटा इनपुट और शैक्षणिक योग्यता में सुधार को समेकन के लिए एक पेन ड्राइव के माध्यम से प्राप्त किया गया था और इसके द्वारा कंप्यूटर में डाला गया था। स्वयं अध्यक्ष, और बोर्ड के एक अन्य सदस्य द्वारा जाँच की गई।

कुल अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की गई थी। शैक्षणिक योग्यताओं के साथ-साथ अंकों के लिए आवंटित

साक्षात्कार में सुरक्षित।

जिन प्रासंगिक चयन प्रक्रिया का पालन किया गया था, उसके आलोक में यह माना जा सकता है कि यह यांत्रिक या आकस्मिक थी या ऐसी दुर्लभताओं का सामना करना पड़ा जो इतनी गंभीर या मनमाना प्रकृति की थीं कि पूरी चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थीं। इसके अलावा, हम [2023] 3 एस. सी. आर. करने में असमर्थ हैं।

पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने और अलग करने में, विशेष रूप से तब जब अपीलार्थियों सहित चौसठ उम्मीदवार एक दशक से अधिक समय से उक्त पद पर कार्यरत थे। इस संबंध में त्रिवेदी हिमांशु घनश्यामभाई पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल इसलिए कि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे क्योंकि वे खो गए थे और उपलब्ध नहीं थे, नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता था।

15. चुनौती का अगला भाग चयन बोर्ड में विशेषज्ञ डॉ. समीना फरहत, सहायक प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग की क्षमता से संबंधित है। विशेषज्ञ पेशे से डॉक्टर थे।

फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री (एम. डी.) और पी. एच. डी. के साथ। 1992 के नियमों के नियम 9 ए में प्रावधान है कि अध्यक्ष यदि आवश्यक महसूस करता है तो चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में उस विषय में एक विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकता है जिसमें नियुक्ति की जानी है। वर्तमान मामले में, यह रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एक योग्यता वाला व्यक्ति फार्मेसी के क्षेत्र में पैनल पर बेहतर अनुकूल होता। इस पर विचार करने के लिए कि क्या इस विवाद में कोई योग्यता है, यह आवश्यक है

'फार्मेसी' के साथ 'फार्माकोलॉजी' के अर्थ पर चर्चा करें।

15.1 . पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, छठे संस्करण, खंड के अनुसार। 3 , ‘ फार्माकोलॉजी को दवाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दवाओं के विश्लेषण और पहचान में लागू किया गया।

' फार्मेसी को "ज्ञान या व्यापार की एक शाखा; दवाओं की तैयारी और वितरण" के रूप में परिभाषित किया गया है।

ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त चिकित्सा शब्दकोश, 7 वें संस्करण के अनुसार, फार्माकोलॉजी दवाओं के गुणों और शरीर पर उनके प्रभावों का विज्ञान है। दूसरी ओर फार्मेसी दवाओं की तैयारी और वितरण है। यह एक फार्मासिस्ट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो परीक्षा द्वारा योग्य है और दवाओं को वितरित करने या दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए एक दुकान खोलने के लिए पंजीकृत और अधिकृत है।

15.2 . उक्त परिभाषाओं पर विचार करने पर क्या सामने आता है

निम्नानुसारः

तज़वीर सिंह सोधी और हमारा। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

फार्माकोलॉजी का विज्ञान और फार्मेसी का अभ्यास

(i)

दोनों रासायनिक पदार्थों के अध्ययन से संबंधित हैं और वे शरीर के कामकाज को कैसे प्रभावित करते हैं।

संक्षेप में, फार्माकोलॉजी के बीच मुख्य अंतर

(ख)

और फार्मेसी यह है कि फार्माकोलॉजी दवाओं और अन्य पदार्थों के प्रभावों को विकसित करने और समझने का विज्ञान है, जबकि फार्मेसी एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा एक दवा के लिए पर्चे का आदेश देने के बाद रोगियों को दवाओं को इकट्ठा करने, तैयार करने, मानकीकृत करने और वितरित करने का विज्ञान और अभ्यास है।

अपने मतभेदों के बावजूद, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में

iii)

फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दोनों स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन वे अपने फोकस और उन्नति के स्तर में भिन्न हैं। फार्माकोलॉजी को आम तौर पर फार्मेसी की तुलना में अधिक उन्नत माना जाता है क्योंकि इसमें अधिक जटिल शामिल होते हैं। दवा कार्रवाई के तंत्र में अनुसंधान और

नई दवाओं का विकास।

15.3 . इसलिए हम यह नहीं मान सकते कि पेशे से स्नातकोत्तर डिग्री (एम. डी.) और पी. एच. डी. वाला डॉक्टर फार्माकोलॉजी में किसी भी विषय में था।

चयन बोर्ड में अपनी भूमिका के लिए अयोग्य या अनुपयुक्त। में।

वास्तव में, हम सोचते हैं कि एक फार्माकोलॉजिस्ट दवा निरीक्षक के पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 9 ए में प्रावधान है कि अध्यक्ष यदि आवश्यक महसूस करता है तो नियुक्त कर सकता है।

चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में उस विषय में विशेषज्ञ जिसमें नियुक्ति की जानी है। इसी तरह नियम 9 (iii) में प्रावधान है कि अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक महसूस करता है, तो चयन के साथ सहयोग कर सकता है।

समिति विशेषज्ञ/उस विषय में विशेषज्ञ जिसमें भर्ती की जानी है। 'मई' शब्द का उपयोग इंगित करेगा कि बोर्ड के अध्यक्ष को इस संबंध में विवेकाधिकार है और चयन पैनल में फार्मेसी में योग्यता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इस हद तक, हम विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। हम इस संबंध में प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं।

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. इस न्यायालय ने साक्षात्कार आयोजित करने की वैधता को बरकरार रखा है

चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, यहां तक कि जहां इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं

इसे प्रथम दृष्टया अत्यधिक पाया गया है, माइनर ए. पीरियाकरुप्पन आदि के अनुसार। बनाम तमिलनाडु राज्य, (1971) 1 एस. सी. सी. 38; सुश्री निशी माघू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1980) 4 एस. सी. सी. 95।

16.1 . लीला धार बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1981 में यह न्यायालय

एस. सी. 1777 ने चयन प्रक्रिया में वाइवा-वॉस या साक्षात्कार के महत्व के बारे में निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

" अब यह सर्वविदित है कि लिखित परीक्षा के दौरान

साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवार के समग्र बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए मूल्यवान है। और व्यक्तिगत गुण। जबकि एक लिखित परीक्षा निश्चित है

साक्षात्कार परीक्षा पर विशिष्ट लाभ अभी तक कोई लिखित परीक्षा नहीं है।

ऐसे परीक्षण जो उम्मीदवार की पहल, सतर्कता का मूल्यांकन कर सकते हैं,

संसाधन, निर्भरता, सहयोगात्मकता, क्षमता

स्पष्ट और तार्किक प्रस्तुति, प्रभावशीलता, चर्चा में, दूसरों से मिलने और उनसे निपटने में प्रभावशीलता, अनुकूलन क्षमता,

निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, बौद्धिक और

नैतिक अखंडता। इनमें से कुछ गुणों का मूल्यांकन किया जा सकता है, शायद

कुछ हद तक त्रुटि के साथ, एक साक्षात्कार परीक्षण द्वारा, बहुत कुछ निर्भर करता है

साक्षात्कार बोर्ड के गठन पर "।

16.2 . उम्मीदवार के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड

एक साक्षात्कार विविध हो सकता है और इसमें से कुछ व्यक्तिपरक भी हो सकते हैं। हालाँकि, बिना किसी विरोध या विरोध के साक्षात्कार प्रक्रिया में प्रस्तुत होने के बाद, इसे बाद में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि उम्मीदवार का अपने प्रदर्शन का व्यक्तिगत मूल्यांकन पैनल द्वारा दिए गए अंकों से अधिक था। इस मामले में ऊपर उल्लिखित अंकों का विभाजन निम्नानुसार दोहराया गया है:

विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार मानदंड

तारीख वाले शुद्धिपत्र के अनुसार मानदंड को फिर से बनाएँ

दिनांक 05 मई, 2008

12 जून, 2009

01. फार्मेसी में डिग्री (बी. फार्मेसी)

= 55 01. फार्मेसी में डिग्री (बी. फार्मेसी = 65)

अंक

अंक

या

या

02. फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री

02. औषधीय रसायन विज्ञान में डिग्री = 65

अंक

या

या

03. रसायन विज्ञान में पीजी के साथ फार्मास्युटिकल में 03। फार्मास्युटिकल के साथ रसायन विज्ञान में पीजी विशेष विषय = 55 अंक

विशेष विषय = 65 अंक

या

या तज़वीर सिंह सोधी और ओआरएस। वी. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का राज्य। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

04. 04 के संस्थान का एसोसिएटशिप डिप्लोमा। संस्थान का एसोसिएटशिप डिप्लोमा रसायनज्ञ (भारत) रसायनज्ञ (भारत) परीक्षा उत्तीर्ण करके

दवाओं और फार्मास्युटिकल के विश्लेषक के साथ एक के रूप में दवाओं और फार्मास्युटिकल के विश्लेषक के साथ

विषयों की संख्या = 55 अंक

विषयों की संख्या = 65 अंक

या

या

05. 05 की दवाओं या विज्ञान में स्नातक। चिकित्सा या विज्ञान में स्नातक इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

नियुक्ति प्राधिकरण और कम से कम एक वर्ष का हो

नियुक्ति प्राधिकरण और कम से कम एक वर्ष का हो

प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण (i)

प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण (i)

सरकार. अधिनियम (ii) रसायन के तहत नियुक्त विश्लेषक

सरकार. रसायन अधिनियम (ii) के तहत नियुक्त विश्लेषक

(iii) किसी संस्थान के प्रमुख का परीक्षक

(iii) किसी संस्थान के प्रमुख के परीक्षक

द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अनुमोदित

द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अनुमोदित

नियुक्ति = 55 अंक

नियुक्ति प्राधिकारी = 65 अंक

06. पीजी फार्मेसी/मेडिसिन/फार्मास्युटिकल /

06. पी. जी. फार्मेसी/मेडिसिन = 25 अंक

रसायन विज्ञान = 10 अंक

07. वाइवा वॉस = 20 अंक

07. पी. एच. डी. = बोर्ड भर में 05 अंक

कुल = 100 अंक

08. वाइवा-वॉयस = 20 अंक

कुल = 100 अंक

100 में से केवल 20 अंक साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए आवंटित किए गए थे।

यह कुल अंकों का केवल 20 प्रतिशत है जिसे कुल अंकों में से अत्यधिक अनुपात नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा अदालतें एक साक्षात्कार पैनल द्वारा अंकों के पुरस्कार पर निर्णय में नहीं बैठ सकती हैं। यह सबसे अच्छा है कि साक्षात्कार पैनल के निर्णय और विवेक पर छोड़ दिया जाए। उपरोक्त आधार में, हमें नहीं लगता कि रिट के विवाद में कोई योग्यता है

पैनल के समक्ष मौखिक रूप से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अंक देने के संबंध में याचिकाकर्ता। इसके अलावा, कुल अंकों का 80 प्रतिशत व्यक्तिगत उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर वस्तुनिष्ठ मानदंड पर दिया जाता है।

16.3 . इसके अलावा, हमें ऐसा लगता है कि मानदंडों को फिर से बनाया गया था।

फार्मेसी या फार्मास्युटिकल में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को दिए जाने वाले महत्व को बढ़ाकर 12 जून, 2009 का शुद्धिपत्र रसायन विज्ञान और उच्च योग्यता जैसे स्नातकोत्तर डिग्री, पी. एच. डी. आदि, उक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अधिक योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से। मानदंडों को फिर से तैयार करना केवल संबंधित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंकों के आवंटन के संबंध में था।

उम्मीदवार। हमारे विचार में, यह चयन प्रक्रिया के मानकों को संरक्षित करने की दृष्टि से था और दुर्भावनापूर्ण या तिरछे उद्देश्य से प्रेरित नहीं था। उम्मीदवार की योग्यता जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक अंक दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, शैक्षिक योग्यता के लिए दिए गए न्यूनतम अंक 65 थे और [2023] 3 एस. सी. आर. के आधार पर 80 तक बढ़ सकते हैं।

उम्मीदवारों की उच्च योग्यताएँ। इसलिए, हम इस आधार पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं कि अंकों का पुरस्कार एकतरफा रूप से किया गया था। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का पुनः आवंटन उम्मीदवारों की उच्च योग्यता की मान्यता में किया गया था जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। यह कोई समझदारी की बात नहीं है कि कोई भी उम्मीदवार जो अंकों के पुनर्गठन से व्यथित था, वह या तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा या चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र को चुनौती देगा। हालांकि, रिट याचिकाकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया। बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, रिट याचिकाकर्ता इसे दुर्भावना से दूषित होने के रूप में चुनौती नहीं दे सकते हैं, केवल इसलिए कि वे असफल रहे।

17. रिट याचिकाओं में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों में से एक सफल उम्मीदवारों को बनाए रखना था, लेकिन साथ ही

समय, उपलब्ध पदों में नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए। लेकिन यदि पदों की अनुपलब्धता के कारण रिट याचिकाकर्ताओं को समायोजित करना संभव नहीं था, तो पूरे चयन को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया और उन सभी उम्मीदवारों के नए साक्षात्कार आयोजित करने के लिए एक नई चयन समिति का गठन किया जाना था जो पहले उसके सामने उपस्थित हुए थे और एक नई चयन सूची तैयार की जानी थी। इसके अलावा, जब तक उक्त अभ्यास नहीं किया जाना था, तब तक चयनित उम्मीदवारों को जारी रखा जाना था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया कि

यह पहले से की गई नियुक्तियों के बाद हुआ और पदों का पुनः विज्ञापन करके एक नया चयन किया जाना था। नतीजतन, दवा निरीक्षकों के चयन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया और एक निर्देश दिया गया छह महीने के भीतर नए सिरे से अभ्यास पूरा करने के लिए जारी किया गया और तब तक, दवा निरीक्षकों के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को जारी रखा जाना था।

हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ दोनों द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश अनुरूप नहीं थे

कानून के साथ और इसलिए, उक्त निर्देशों को रद्द करना होगा।

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, वर्तमान अपीलें हैं -

अनुमति दी गई। 18 दिसंबर, 2015 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और 29 अक्टूबर, 2021 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित विवादित फैसले को खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, जम्मू में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 6 जुलाई, 2017 को सिंह सोधी और ओआरएस के आदेश के बाद आया।

वी. जम्मू का राज्य 765 कश्मीर और ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]डी जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ए

18 दिसंबर, 2015 को भी अलग रखा गया है।

जिन उम्मीदवारों को 8 सितंबर, 2009 को जम्मू और कश्मीर राज्य में दवा की नियुक्ति के लिए चयन में सफल घोषित किया गया था, और 12 नवंबर, 2009 की नियुक्तियों को विवादित फैसले के सेवा बी में बने रहने की अनुमति दी गई थी। ठहराव का आदेश दिया गया है

उपरोक्त में सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

सी.

लागत के बारे में।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अमान, एल. सी. आर. ए.)